स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट

प्रति
निदेशक मंडल
राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक

समेकित वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा पर रिपोर्ट

अभिमत

1. हमने राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक ('धारक बैंक' या 'नाबार्ड') और उसकी 7(सात) सहायक संस्थाओं (धारक बैंक और उसकी सहायक संस्थाओं को संयुक्त रूप से 'समूह' कहा गया है) के संलग्न समेकित वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा की है जिसमें 31 मार्च 2022 की स्थिति में समेकित तुलन-पत्र और उसी तारीख को समाप्त वर्ष के समेकित लाभ और हानि लेखों और समेकित नकदी प्रवाह विवरण और महत्वपूर्ण लेखा नीतियों के सारांश और अन्य स्पष्टीकरणमूलक सूचनाओं सहित वित्तीय विवरणों की टिप्पणियां शामिल हैं ('समेकित वित्तीय विवरण' अथवा 'सीएफ़एस').

   हमारे मत में और हमें प्राप्त सर्वोत्तम सूचना तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार उल्लिखित समेकित किए गए वित्तीय विवरण पूर्ण और निष्पक्ष वित्तीय विवरण हैं जिनमें सभी आवश्यक ब्यौरे शामिल किए गए हैं और इसे समुचित रूप से तैयार किया गया है ताकि राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (अतिरिक्त) सामान्य नियम, 1984 और भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) द्वारा अधिसूचित लेखा मानकों के अनुरूप तथा आम तौर पर भारत में सामान्यतः स्वीकृत लेखा सिद्धांतों के अनुरूप 31 मार्च 2022 की यथास्थिति बैंक के कामकाज की स्थिति और उसी तारीख को समाप्त वर्ष के लिए इसके लाभों और इसके नकदी प्रवाह की वास्तविक और निष्पक्ष तस्वीर प्रस्तुत की जा सके.

अभिमत का आधार

2. हमने अपनी लेखापरीक्षा भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) द्वारा जारी लेखापरीक्षा मानकों (एसए) के अनुसार की है. इन मानकों के अंतर्गत हमारी जिम्मेदारियों का और अधिक विवरण हमारी रिपोर्ट के समेकित वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा वाले खंड में लेखा परीक्षकों की जिम्मेदारियों में दिया गया है. इन मानकों के अनुसार यह अपेक्षित है कि हम नैतिक अपेक्षाओं का अनुपालन करें. आईसीएआई द्वारा जारी आचार संहिता के अनुसार हम बैंक से स्वतंत्र हैं और हमने इन अपेक्षाओं और आचार संहिता के अनुसरण में अपनी नैतिक जिम्मेदारियां पूरी की हैं. हमारा विश्वास है कि जो लेखापरीक्षा साक्ष्य हमने प्राप्त किए हैं वे हमारे अभिमत को आधार देने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त हैं.

महत्वपूर्ण तथ्य

3. क) समेकित वित्तीय विवरणों के नोट संख्या ए-19 से अनुसूची 18 की ओर ध्यान आकृष्ट किया जाता है जिसमें मौजूदा कोविड-19 महामारी के कारण उत्पन्न अनिश्चितताओं और 31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए धारक बैंक के प्रबंधन द्वारा अपने परिचालनों और वित्तीय रिपोर्टिंग का आकलन किया गया है. प्रबंधन द्वारा किया गया यह आकलन और महामारी के परिणाम समय सापेक्ष और परिस्थितिजन्य होते हैं.

   ख) समेकित वित्तीय विवरणों की अनुसूची 18 की नोट संख्या बी.23 पर ध्यान आकर्षित किया जाता है जिसमें एक एनपीए खाते के लिए किए गए प्रावधान हेतु आरक्षित निधि में रु. 409.63 करोड़ की राशि डेबिट की गई.

   ग) अनुसूची 18 में महत्वपूर्ण लेखा नीतियों के नोट संख्या ए-2 "समेकन के आधार" पर ध्यान आकर्षित किया जाता है, जो सहायक कंपनियों पर लागू खातों से संबंधित हैं जिन्हें यहाँ समेकित नहीं किया गया है.

   उपर्युक्त मामलों के संबंध में हमारी रिपोर्ट में संशोधन नहीं किया गया है

लेखापरीक्षा संबंधी प्रमुख मदें

4. हमारे व्यावसायिक मत के अनुसार लेखापरीक्षा की प्रमुख मदें वे हैं जो वर्ष के लिए समेकित वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा में सर्वाधिक महत्वपूर्ण थीं. इन मदों पर समेकित वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा के संदर्भ में समग्र आधार पर विचार किया गया है और उन पर अपने अभिमत पर पहुंचने में हम प्रमुख लेखापरीक्षा मदों पर अलग अभिमत नहीं देते हैं. अपने व्यावसायिक मत में हमारी रिपोर्ट में सूचित करने के लिए हमने निम्नलिखित को महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा मदों के रूप में लेने का निर्णय लिया है:

लेखापरीक्षा मद का विवरण	*मद की लेखापरीक्षा प्रक्रिया*
अनेक आईटी प्रणालियाँ : धारक बैंक अनेक और अलग-अलग सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) प्रणालियों पर प्रतिदिन प्रोसेस किए जाने वाले लेनदेनों की बड़ी संख्या को ध्यान में रखते हुए प्रौद्योगिकी पर निर्भर है. लेखापरीक्षा पद्धति व्यापक रूप से इन आईटी प्रणालियों के इंटरफेस तथा उनमें अंतर्निहित स्वचालित नियंत्रणों के माध्यम से जेनरेट की गई अनेक रिपोर्टों पर निर्भर करती है. वित्तीय रिपोर्टिंग की प्रक्रिया से संबंधित प्रमुख आईटी प्रणालियों में निम्नलिखित शामिल हैं : • सीएलएमएएस– लेनदेनों की प्रोसेसिंग, कार्यप्रवाह और वित्तीय रिपोर्टिंग प्रणाली. • टीएएलएमएस – ट्रेजरी परिचालन • एम्पावर एचआरएमएस– मानव संसाधन और वेतन • एफ़एएमएस – संपत्ति, संयंत्र और उपकरण और व्ययों की प्रोसेसिंग • उक्त में से एक या अधिक प्रणालियों के इंटरफेस/ इंटरप्ले से रिपोर्टें निर्मित या जेनरेट की जाती है. एप्लीकेशनों और अंतर्निहित डाटा में परिवर्तन उपयुक्त तरीके से किए गए हैं. यह सुनिश्चित करने के लिए आईटी सामान्य और एप्लीकेशन नियंत्रण महत्वपूर्ण है. पर्याप्त नियंत्रण रहने से एप्लीकेशनों और डाटा में परिवर्तनों के कारण होने वाली संभावित धोखाधड़ी या त्रुटियों के जोखिम को कम करने में मदद मिलती है. बैंक का प्रबंधन कई सुधारात्मक गतिविधियों के कार्यान्वयन की प्रक्रिया में है जिनसे उम्मीद है कि वे वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया में आईटी एप्लीकेशनों का जोखिम कम करने में सहायक होंगी. इनमें महत्वपूर्ण एप्लीकेशनों और आधारभूत संरचनाओं के लिए निवारणात्मक और अन्वेषक नियंत्रणों का कार्यान्वयन शामिल है. इसकी व्यापक प्रकृति के कारण अपने आरंभिक जोखिम मूल्यांकन में हमने लेखापरीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकी से जेनरेट होने वाले गलत विवरण का मूल्यांकन कर लेखापरीक्षा की आयोजना की, इसीलिए यह प्रमुख लेखापरीक्षा मद दी गई है.	हमने कई लेखापरीक्षा कार्यपद्धतियां अपनाईं जिनमें निम्नलिखित शामिल हैं: वित्तीय रिपोर्टिंग के लिए विश्वसनीय आधार माने जाने वाले एप्लीकेशन्स, ऑपरेटिंग सिस्टम और डेटाबेस तक पहुँच के अधिकार सहित आईटी प्रणालियों के सामान्य नियंत्रणों से संबंधित सनदी लेखाकारों की स्वतंत्र फर्म द्वारा जून 2021 को समाप्त छमाही में की गई आईएस लेखापरीक्षा की रिपोर्ट की समीक्षा. हमारे लेखापरीक्षा टेस्ट निम्नलिखित को कवर करने के लिए डिजाइन लिए गए : • बैंक के आईटी नियंत्रण वातावरण और हमारी लेखापरीक्षा के दौरान लेखापरीक्षा की दृष्टि से संगत माने गए परिवर्तनों को समझना; • चयन के आधार पर ब्याज की गणना और परिपक्वता तारीखों की पुनर्गणना की गई; • चयन के आधार पर मास्टर्स अपडेशन, परिणामी रिपोर्टों के साथ इंटरफ़ेस का पुनर्मूल्यांकन किया गया; • चयन के आधार पर टीएएलएमएस, एम्पावर और वर्कफ़्लो जैसी अन्य आईटी प्रणालियों के साथ सीएलएमएएस के इंटरफेस की जांच की गई; • लेखा प्रणाली में गलत सिस्टम प्रविष्टियां पोस्ट होने की घटनाओं को ध्यान में रखते हुए, उपयुक्त स्पष्टीकरण और अभ्यावेदन प्राप्त करने के लिए 'रूट कॉज़ विश्लेषण' और ऐसी प्रविष्टियों के संबंध में पर्याप्त जांच और नियंत्रण की कमी के बारे में विस्तृत पूछताछ की गई. • मुख्य वित्तीय रिपोर्टिंग मामलों के लिए सिस्टम से जेनेरेट की गई रिपोर्ट और लेखा प्रविष्टियों का मैन्युअल परीक्षण (अर्थात कंप्यूटर सिस्टम के सभी पहलुओं से सत्यापन), ताकि लेखापरीक्षा के दौरान पाई गई गलत प्रविष्टियों को सुधारा जा सके. • सिस्टम में गलत प्रविष्टि करने से बचने, अधिक उपयोगी सिस्टम जनरेटेड रिपोर्टें प्राप्त करने और सिस्टम में अधिक फीचर्स/ फील्ड्स को शामिल करने के उद्देश्य से सीएलएमएएस 2.0 को तैयार करने का कार्य प्रगति पर है.

वित्तीय विवरणों से इतर सूचना और उस पर लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट

5. अन्य सूचनाओं को तैयार करने का दायित्व धारक बैंक के प्रबंधन और निदेशक मण्डल का है जिसमें निदेशक मण्डल की रिपोर्ट और धारक बैंक की वार्षिक रिपोर्ट में शामिल अन्य प्रकटन, वित्तीय विवरण और उनपर लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट को छोड़कर, शामिल हैं (अन्य सूचना).

अन्य सूचना हमें लेखापरीक्षकों की इस रिपोर्ट की तारीख के बाद उपलब्ध कराए जाने की आशा है. समेकित वित्तीय विवरणों पर हमारे अभिमत में अन्य सूचना शामिल नहीं है और हम उस पर किसी भी प्रकार का कोई आश्वासन अथवा निष्कर्ष व्यक्त नहीं करते.

समेकित वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा के संदर्भ में हमारा दायित्व यह है कि हम अन्य सूचना को पढ़ें और ऐसा करते समय यह देखें कि अन्य सूचना समेकित किए गए वित्तीय विवरणों से या लेखापरीक्षा के दौरान हमें

प्राप्त हुई जानकारी से किसी महत्वपूर्ण मामले में असंगत तो नहीं है या उसमें अन्यथा कोई महत्वपूर्ण दुष्प्रस्तुति तो नहीं दिखती. जब हम अन्य सूचना पढ़ते हैं और इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि उसमें कोई महत्वपूर्ण दुष्प्रस्तुति है तो हमसे यह अपेक्षित है कि हम एसए 720 'अन्य सूचना के संबंध में लेखापरीक्षक के दायित्व' के अंतर्गत इस विषय को यथापेक्षित अभिशासन के प्रभारियों को संप्रेषित करें.

समेकित वित्तीय विवरणों के लिए प्रबंधन का दायित्व

6. धारक बैंक के प्रबंधन का दायित्व है कि वह राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (अतिरिक्त) सामान्य विनियमावली, 1984 के अनुसार इन समेकित वित्तीय विवरणों को इस प्रकार तैयार करे जो समूह की समेकित वित्तीय स्थिति, समेकित वित्तीय निष्पादन और समेकित नकदी प्रवाह का वास्तविक और निष्पक्ष चित्र प्रस्तुत करते हों. इस दायित्व में समूह की आस्तियों की सुरक्षा के लिए और धोखाधड़ी एवं अन्य अनियमितताओं को रोकने तथा उनका पता लगाने के लिए पर्याप्त लेखा अभिलेखों का रखरखाव; उचित लेखा नीतियों का चयन और उन्हें लागू करना, उचित और विवेकपूर्ण निर्णय और आकलन करना तथा लेखा अभिलेखों की सटीकता और पूर्णता सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी ढंग से काम कर रहे पर्याप्त ऐसे आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की रूपरेखा तैयार करना, उनका कार्यान्वयन और रखरखाव करना शामिल हैं जिनका परिचालन वित्तीय विवरणों को इस प्रकार तैयार करने और प्रस्तुत करने के लिए अपेक्षित था कि वे धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण किसी महत्वपूर्ण दुष्प्रस्तुति से मुक्त वास्तविक और निष्पक्ष चित्रण करने वाले वित्तीय विवरणों को तैयार करने और प्रस्तुत करने के लिए संगत लेखा अभिलेखों की परिशुद्धता और पूर्णता सुनिश्चित कर सकें.

समेकित वित्तीय विवरण तैयार करते समय निरंतर चलने वाली संस्थाओं के रूप में जारी रहने की समूह की क्षमता का आकलन करने, निरंतर चलने वाली संस्था से संबंधित मामलों में यथालागू प्रकटन करने और प्रबंधन द्वारा समूह को परिसमाप्त करने या परिचालनों को बंद करने की मंशा रखने या ऐसा करने के अलावा और कोई व्यावहारिक विकल्प न होने की स्थितियों को छोड़कर निरंतर चलने वाली संस्था के आधार का प्रयोग करके लेखांकन करने लिए धारक बैंक और समूह में शामिल कंपनियों के संबंधित प्रबंधन और निदेशक मण्डल जिम्मेदार हैं.

धारक बैंक और समूह में शामिल कंपनियों के संबंधित निदेशक मण्डल उनकी वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया के पर्यवेक्षण के लिए भी जिम्मेदार हैं.

समेकित वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा के लिए लेखापरीक्षक का दायित्व

7. हमारा उद्देश्य है इस बात का तर्काधारित आश्वासन प्राप्त करना कि समेकित किए गए वित्तीय विवरण समग्रतः धोखाधड़ी अथवा त्रुटि के कारण होने वाले किसी महत्वपूर्ण दुष्प्रस्तुति से मुक्त हैं और एक लेखापरीक्षा रिपोर्ट जारी करना जिसमें हमारा अभिमत शामिल हो. तर्काधारित आश्वासन उच्च स्तरीय आश्वासन है लेकिन इस बात की गारंटी नहीं है कि लेखांकन मानदंडों के अनुसार संचालित लेखापरीक्षा किसी विद्यमान महत्वपूर्ण दुष्प्रस्तुति का पता हमेशा लगा ही लेगी. दुष्प्रस्तुतियां धोखाधड़ी अथवा त्रुटि के कारण उत्पन्न हो सकती हैं और उन्हें महत्वपूर्ण तब माना जाता है जब वे एकल रूप से या समग्रतः इन समेकित किए गए विवरणों के आधार पर उपयोगकर्ताओं द्वारा लिए जाने वाले आर्थिक निर्णयों को एक तर्कपूर्ण सीमा तक प्रभावित कर सकती हों. इस रिपोर्ट के अनुबंध 1 में लेखा मानकों के अनुरूप हमारी लेखापरीक्षा प्रक्रिया का विवरण दिया गया है.

अन्य मदें

8. इन वित्तीय विवरणों में प्रधान कार्यालय सहित 13 क्षेत्रीय कार्यालयों और 1 स्टाफ कॉलेज की विवरणियां शामिल हैं जिनका हमने लेखा परीक्षा के प्रयोजन से दौरा किया था जिनका बैंक के अग्रिमों में 84.41%, जमाओं में 100.00%, ब्याज आय में 87.28% और ब्याज व्यय में 100.00% हिस्सा था. इन कार्यालयों और प्रशिक्षण केन्द्रों का चयन बैंक के प्रबंधन के परामर्श से किया गया था. बैंक के शेष कार्यालयों का हमने दौरा नहीं किया, किंतु प्रधान कार्यालय को भेजी गई उनकी विवरणियों की समीक्षा की गई है.

अन्य विधिक और विनियामक अपेक्षाओं पर रिपोर्ट

हम रिपोर्ट करते हैं कि धारक बैंक द्वारा समेकित वित्तीय विवरण लेखा मानक (एएस) 21 – 'समेकित वित्तीय विवरण' के अनुसार तैयार किए गए हैं. हमें उपलब्ध कराई गई सूचना और व्याख्या के अनुसार और हमारे मत में समेकित वित्तीय विवरण में सभी प्रकार से लागू लेखा मानकों का अनुपालन किया गया है.

कृते एमकेपीएस एंड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार
फर्म की पंजीकरण सं 302014E

सीए रामकृष्णन मणि
साझेदार
सदस्यता संख्या. 032271

स्थान: मुंबई
दिनांक: मई 25, 2022
यूडीआईएन: 22032271AJOAWDC1580

स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट का अनुबंध 1

("समेकित वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा के लिए लेखा परीक्षक के दायित्व" शीर्षक पैरा 7 में संदर्भित)

- लेखा मानकों के अनुसार, लेखापरीक्षा के एक भाग के रूप में हम पूरी लेखापरीक्षा के दौरान व्यावसायिक निर्णय क्षमता का प्रयोग करते हैं और व्यावसायिक संदेहवाद बनाए रखते हैं. साथ ही :
- हम धोखाधड़ी अथवा त्रुटि के कारण वित्तीय विवरणों की महत्वपूर्ण दुष्प्रस्तुति की जोखिमों की पहचान और आकलन करते हैं, उन जोखिमों के प्रतिसाद में लेखापरीक्षा कार्य पद्धतियों की रूपरेखा तैयार करते हैं और उनका कार्यान्वयन करते हैं और महत्वपूर्ण मदों के लिए ऐसा लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त करते हैं जो अभिमत के लिए आधार प्रदान करने की दृष्टि से पर्याप्त और उपयुक्त हो. धोखाधड़ी के परिणामस्वरूप महत्वपूर्ण दुष्प्रस्तुति का पता न लगाने का जोखिम त्रुटि के परिणामस्वरूप होने वाले जोखिम से बड़ा होता है क्योंकि धोखाधड़ी में मिलीभगत, जालसाजी, गलत मंशा से उपेक्षा करना, गलत प्रस्तुति आदि शामिल हो सकते हैं या आंतरिक नियंत्रणों की अवहेलना की गई हो सकती है.
- हम लेखापरीक्षा के लिए संगत आंतरिक नियंत्रण की समझ प्राप्त करते हैं. ऐसा विद्यमान परिस्थितियों के लिए उचित लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं की रूपरेखा तैयार करने के लिए किया जाता है न कि बैंक के आंतरिक नियंत्रण की प्रभावोत्पादकता पर अपना मत व्यक्त करने के लिए.
- हम बैंक के प्रबंधन द्वारा उपयोग में लाई जा रही लेखांकन नीतियों की उपयुक्तता और लेखांकन अनुमानों तथा संबंधित प्रकटनों के औचित्य का मूल्यांकन करते हैं.
- हम लेखांकन के 'निरंतर चल रही संस्था' आधार के प्रबंधन द्वारा उपयोग की उपयुक्तता पर निष्कर्ष निकालते हैं और प्राप्त लेखापरीक्षा साक्ष्य के आधार पर यह देखते हैं कि क्या किसी ऐसी घटना या परिस्थिति से जुड़ी कोई महत्वपूर्ण अनिश्चितता विद्यमान है जो 'निरंतर चलने वाली संस्था' के रूप में बैंक की क्षमता पर उल्लेखनीय संदेह पैदा करती हो. अगर हमारा निष्कर्ष यह होता है कि ऐसी महत्वपूर्ण अनिश्चितता विद्यमान है तो हमसे यह अपेक्षित होता है कि हम अपनी लेखापरीक्षा रिपोर्ट में वित्तीय विवरणों में संबंधित प्रकटनों की ओर ध्यान आकृष्ट करें, अथवा यदि ऐसे प्रकटन अपर्याप्त हैं तो अपने अभिमत को संशोधित करें. हमारे निष्कर्ष हमारी लेखा परीक्षा रिपोर्ट की तारीख तक प्राप्त लेखा परीक्षा साक्ष्य पर आधारित होते हैं. तथापि भविष्यगत घटनाएं या परिस्थितियां बैंक के 'निरंतर चलने वाली संस्था' नहीं बने रहने का कारण बन सकती हैं.
- हम प्रकटनों सहित वित्तीय विवरणों की समग्र प्रस्तुति, संरचना और उनमें निहित विषय-वस्तु का मूल्यांकन करते हैं और देखते हैं कि क्या वित्तीय विवरण अंतर्निहित लेनदेनों और घटनाओं को इस तरह अभिव्यक्त करते हैं कि निष्पक्ष प्रस्तुति का उद्देश्य पूरा हो.
- हम अभिशासन के प्रभारी व्यक्तियों को, अन्य बातों के साथ-साथ, लेखापरीक्षा के दायरे और समय की योजना तथा उल्लेखनीय लेखापरीक्षा निष्कर्ष संप्रेषित करते हैं जिनमें आंतरिक नियंत्रण में उन महत्वपूर्ण कमियों को शामिल किया जाता है जो हमारी लेखापरीक्षा के दौरान पहचान में आती हैं. हम अभिशासन के प्रभारी व्यक्तियों को ऐसा अभिकथन भी उपलब्ध कराते हैं कि हमने अपनी निष्पक्षता और हमारी निष्पक्षता को समुचित रूप से प्रभावित करने वाले माने जाने वाले सभी संबंधों तथा अन्य विषयों को उन्हें संप्रेषित करने के संबंध में, और जहां प्रयोजनीय हो वहां संबंधित रक्षोपायों के बारे में सभी संगत नैतिक अपेक्षाओं का पालन किया है.
- हम अभिशासन के प्रभारी व्यक्तियों को संप्रेषित मदों के आधार पर ऐसी मदों को निर्धारित करते हैं जो चालू अवधि के वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा की दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण हों और इस कारण वे प्रमुख लेखापरीक्षा मदें हों. हम इन मदों को अपनी लेखापरीक्षा रिपोर्ट में वर्णित करते हैं जब तक कि विधि या विनियम द्वारा उन मदों के बारे में सार्वजनिक प्रकटन को निषिद्ध न किया गया हो, या जब विरलातिविरल परिस्थितियों में हम यह तय करें कि हमें अपनी रिपोर्ट में उस मद को संप्रेषित नहीं करना चाहिए क्योंकि संप्रेषित करने से सार्वजनिक हित को होने वाले संभावित लाभ ऐसे सम्प्रेषण के प्रतिकूल परिणामों की अपेक्षा कम होंगे.

राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक
समेकित तुलन-पत्र - 31 मार्च 2022 की स्थिति

(राशि ₹ करोड़ में)

क्रम सं.	*निधियां और देयताएं*	*अनुसूची*	*31.03.2022 को*	*31.03.2021 को*
1	पूंजी (नाबार्ड अधिनियम,1981 की धारा 4 के अंतर्गत)		17,080.00	15,080.00
2	प्रारक्षित निधि और अन्य प्रारक्षित निधियां	1	44,391.66	39,639.51
3	माइनॉरिटी इंटरेस्ट	1A	204.47	183.18
4	राष्ट्रीय ग्रामीण ऋण निधियां	2	16,098.00	16,094.00
5	उपहार, अनुदान, दान और उपकृतियां	3	6,602.27	6,371.61
6	सरकारी योजनाएं	4	5,888.63	3,485.35
7	जमाराशियां	5	2,52,126.69	2,41,572.10
8	बॉण्ड और डिबेंचर	6	2,30,592.70	1,95,882.39
9	उधार	7	1,63,660.12	1,21,658.87
10	वर्तमान देयताएं और प्रावधान	8	21,824.84	18,690.81
	कुल		**7,58,469.38**	**6,58,657.82**
	विदेशी मुद्रा वायदा संविदाएं (हेजिंग) कॉण्ट्रा के अनुसार		925.97	1,020.66

उक्त संदर्भित अनुसूचियां लेखों का अभिन्न अंग हैं.

राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक
समेकित तुलन-पत्र - 31 मार्च 2022 की स्थिति

(राशि ₹ करोड़ में)

क्रम सं.	*संपत्ति और आस्तियां*	*अनुसूची*	*31.03.2022 को*	*31.03.2021 को*
1	नकद और बैंक शेष	9	6,073.49	4,751.09
2	निवेश	10	65,725.28	45,052.34
3	अग्रिम	11	6,80,882.72	6,03,117.88
4	अचल आस्तियां	12	566.30	580.89
5	अन्य आस्तियां	13	5,221.59	5,155.62
	कुल		**7,58,469.38**	**6,58,657.82**
	विदेशी मुद्रा वायदा संविदाएं (हेजिंग) कॉण्ट्रा के अनुसार वायदा और आकस्मिक देयताएं		925.97	1,020.66
	प्रतिबद्धता और आकस्मिक देयताएं	17		
	महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां और लेखों पर टिप्पणियां	18		

उक्त संदर्भित अनुसूचियां लेखों का अभिन्न अंग हैं.

इसी तारीख की हमारी संलग्न रिपोर्ट के अनुसार

कृते एमकेपीएस एंड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार
एफ़आरएन सं: 302014E

सीए रामकृष्णन मणि
साझेदार
सदस्यता संख्या: 032271

अलोक सी जेना
मुख्य महाप्रबंधक
लेखा विभाग

मुंबई
दिनांक : 25 मई 2022

डॉ. जी.आर.चिंतला
अध्यक्ष

शाजी के वी
उप प्रबंध निदेशक

पीवीएस सूर्यकुमार
उप प्रबंध निदेशक

राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक
31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित लाभ और हानि लेखा

(राशि ₹ करोड़ में)

क्रम सं.	*आय*	*अनुसूची*	*2021-22*	*2020-21*
1	ऋणों और अग्रिमों पर प्राप्त ब्याज		33,874.32	31,441.51
2	निवेश परिचालनों / जमाराशियों से आय		3,030.53	3,372.89
3	अन्य आय		270.33	193.78
	कुल "अ"		**37,175.18**	**35,008.18**

क्रम सं.	*व्यय*	*अनुसूची*	*2021-22*	*2020-21*
1	ब्याज और वित्तीय प्रभार	14	26,574.22	24,235.65
2	स्थापना और अन्य व्यय	15 A	2,281.35	2,102.77
3	संवर्धनात्मक गतिविधियों पर व्यय	15 B	111.88	95.05
4	प्रावधान	16	1,314.72	2,328.01
5	मूल्यह्रास		53.82	50.67
	कुल "आ"		**30,335.99**	**28,812.15**
6	**कर से पूर्व लाभ (अ-आ)**		**6,839.19**	**6,196.03**
7	पूर्व अवधि मदें		-	-
8	आयकर के लिए प्रावधान		1,675.56	1,794.13
9	आस्थगित कर आस्ति समायोजन (अनुसूची-18 का नोट बी-10 देखें)		(30.85)	0.81
10	**कर पश्चात् लाभ**		**5,194.48**	**4,401.09**
11	माइनॉरिटी इंटरेस्ट		15.67	14.51
12	**विनियोजन हेतु उपलब्ध लाभ**		**5,178.81**	**4,386.58**

नोट: नाबार्ड (अतिरिक्त) सामान्य विनियम, 1984 के तहत निर्धारित प्रारूप में अपेक्षानुसार "छूट और कमीशन" शीर्ष के तहत अलग से प्रकटीकरण किए बिना अर्जित छूट और कमीशन को ऋण और अग्रिम या निवेश संचालन-जमा से प्राप्त आय के संबंधित शीर्ष के तहत समूहीकृत किया गया है.

उक्त संदर्भित अनुसूचियां लेखों का अभिन्न अंग हैं.

राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक
31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित लाभ और हानि लेखा

(राशि ₹ करोड़ में)

क्रम सं.	*विनियोजन /आहरण*	*2021-22*	*2020-21*
1	**वर्ष का लाभ नीचे लाया गया**	**5,178.81**	**4,386.58**
2	**जोड़ें :** लाभ और हानि खाते को नामे किए गए व्यय के समक्ष विभिन्न निधियों से आहरण* (अनुसूची 1 देखें)	143.70	125.00
3	**विनियोजन हेतु उपलब्ध कुल लाभ**	**5,322.51**	**4,511.58**
	घटाएँ: निम्नलिखित में अंतरित किया गया* (अनुसूची 1 और 2 देखें)		
1	आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 36(I)(viii) के अंतर्गत विशेष प्रारक्षित निधि	1,065.00	1,100.00
2	राष्ट्रीय ग्रामीण ऋण (दीर्घावधि परिचालन) निधि	1.00	1.00
3	राष्ट्रीय ग्रामीण ऋण (स्थिरीकरण) निधि	1.00	1.00
4	सहकारिता विकास निधि	130.53	58.71
5	अनुसंधान और विकास निधि	31.82	29.95
6	निवेश उतार-चढ़ाव प्रारक्षित निधि	1,125.00	457.00
7	उत्पादक संगठन विकास निधि	5.11	104.03
8	ग्रामीण आधारभूत संरचना संवर्धन निधि	6.23	20.00
9	कृषि क्षेत्र संवर्धन निधि	22.17	17.67
10	ग्राम्य विकास निधि	46.09	47.67
11	जलवायु परिवर्तन निधि	1.75	0.97
12	उत्प्रेरक निधि	-	16.00
13	विदेशी मुद्रा उतार-चढ़ाव प्रारक्षित निधि	5.21	7.03
14	प्रारक्षित निधि	2,881.60	2,650.55
	कुल	**5,322.51**	**4,511.58**

इसी तारीख की हमारी संलग्न रिपोर्ट के अनुसार

कृते एमकेपीएस एंड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार
एफ़आरएन सं: 302014E

सीए रामकृष्णन मणि
साझेदार
सदस्यता संख्या: 032271

अलोक सी जेना
मुख्य महाप्रबंधक
लेखा विभाग

मुंबई
दिनांक : 25 मई 2022

डॉ. जी.आर.चिंतला
अध्यक्ष

शाजी के वी
उप प्रबंध निदेशक

पीवीएस सूर्यकुमार
उप प्रबंध निदेशक

समेकित तुलन-पत्र की अनुसूचियां

समेकित अनुसूची 1 - प्रारक्षित निधि और अन्य प्रारक्षित निधियां

(राशि ₹ करोड़ में)

क्रम सं.	*विवरण*	*01.04.2021 को प्रारंभिक शेष*	*वर्ष के दौरान परिवर्धन/ समायोजन*	*लाभ-हानि विनियोजन से अंतरित*	*लाभ-हानि विनियोजन को अंतरित*	*31.03.2022 को शेष*
1	प्रारक्षित निधि*	26,607.10	(13.68)	2,881.60	411.35	29,063.67
2	अनुसंधान और विकास निधि	53.57	0.45	31.82	31.90	53.94
3	प्रारक्षित पूंजी	74.81	-	-	-	74.81
4	निवेश उतार-चढ़ाव प्रारक्षित	1,697.00	-	1,125.00	-	2,822.00
5	सहकारिता विकास निधि	100.00	-	130.53	30.53	200.00
6	आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 36(1) (viii) के अंतर्गत सृजित और अनुरक्षित विशेष प्रारक्षित निधि	10,535.00	-	1,065.00	-	11,600.00
7	उत्पादक संगठन विकास निधि	300.00	-	5.11	5.11	300.00
8	ग्रामीण आधारभूत संरचना संवर्धन निधि	50.00	-	6.23	6.23	50.00
9	कृषि क्षेत्र संवर्धन निधि	60.00	-	22.17	22.17	60.00
10	ग्राम्य विकास निधि	110.00	-	46.09	46.09	110.00
11	जलवायु परिवर्तन निधि	20.00	-	1.75	1.75	20.00
12	उत्प्रेरक निधि	20.00	-	-	-	20.00
13	विकास कॉर्पस निधि	5.00	-	-	-	5.00
14	विदेशी विनिमय उतार-चढ़ाव निधि	7.03	-	5.21	-	12.24
	कुल	**39,639.51**	**(13.23)**	**5,320.51**	**555.13**	**44,391.66**
	गत वर्ष	**35,247.94**	**7.29**	**4,509.58**	**125.30**	**39,639.51**

** नोट:* 'प्रारक्षित निधि' और अन्य रिजर्व' के लिए नाबार्ड (अतिरिक्त) सामान्य विनियम, 1984 में निर्धारित प्रारूप में लाभ और हानि खाता को एक उप-मद के रूप में रखा गया है. चूंकि बैंक में प्रारक्षित निधि फंड में सभी प्रकार के विनियोजन के बाद शेष राशि को लाभ और हानि खाते में अंतरित करने की प्रथा है, इसलिए लाभ और हानि खाते में कोई राशि शेष नहीं रहती जिसके कारण इसे अलग से ऊपर खुलासा नहीं किया गया है.

समेकित अनुसूची 1अ – माइनॉरिटी इंटरेस्ट

(राशि ₹ करोड़ में)

क्रम सं.	*विवरण*	*01.04.2021 को प्रारंभिक शेष*	*वर्ष के दौरान जोड़े गए*	*वर्ष के दौरान समायोजित*	*31.03.2022 को अंत शेष*
1	शेयर पूंजी	87.91	3.75	-	91.66
2	प्रारक्षित निधियां और अधिशेष	95.27	17.54	-	112.81
	कुल	**183.18**	**21.29**	**-**	**204.47**
	गत वर्ष	**168.53**	**14.65**	**-**	**183.18**

समेकित अनुसूची 2 - राष्ट्रीय ग्रामीण ऋण निधियां

(राशि ₹ करोड़ में)

क्रम सं.	*विवरण*	*01.04.2021 को प्रारंभिक शेष*	*भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा अंशदान*	*लाभ-हानि विनियोजन से अंतरित*	*31.03.2022 को शेष*
1	राष्ट्रीय ग्रामीण ऋण (दीर्घावधि परिचालन) निधि	14,497.00	1.00	1.00	14,499.00
2	राष्ट्रीय ग्रामीण ऋण (स्थिरीकरण) निधि	1,597.00	1.00	1.00	1,599.00
	कुल	**16,094.00**	**2.00**	**2.00**	**16,098.00**
	गत वर्ष	**16,090.00**	**2.00**	**2.00**	**16,094.00**

अनुसूची 3 - उपहार, अनुदान, दान और उपकृतियां

(राशि ₹ करोड़ में)

क्रम सं.	*विवरण*	*01.04.2021 को प्रारंभिक शेष*	*वर्ष के दौरान परिवर्धन*	*जमा ब्याज**	*वर्ष के दौरान व्यय /समायोजन*	*31.03.2022 को शेष*
अ.	**अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों से प्राप्त अनुदान**					
1	केएफ़डब्ल्यू आदिवासी कार्यक्रम हेतु नाबार्ड V निधि	0.53	-	0.02	(0.09)	0.64
2	केएफडब्ल्यू – एनबी-यूपीएनआरएम- सहबद्ध उपाय	-	0.63	-	0.63	-
3	केएफडब्ल्यू – एनबी-यूपीएनआरएम- वित्तीय अंशदान	0.15	-	-	-	0.15
4	इंडो जर्मन वाटरशेड विकास कार्यक्रम - आंध्र प्रदेश	0.67	-	0.03	-	0.70
5	इंडो जर्मन वाटरशेड विकास कार्यक्रम - गुजरात	0.03	-	-	-	0.03
6	इंडो जर्मन वाटरशेड विकास कार्यक्रम – राजस्थान	0.06	-	-	-	0.06
7	जीआईजेड यूपीएनआरएम तकनीकी सहयोग	0.03	-	-	-	0.03
8	जलवायु परिवर्तन – (एएफ़बी)-परियोजना निर्माण अनुदान	19.18	3.59	0.77	1.26	22.28
9	जीआईजेड मृदा परियोजना	1.41	-	-	-	1.41
10	केएफ़डब्ल्यू मृदा परियोजना	2.47	17.62	-	18.02	2.07
11	जीसीएफ़ परियोजना अनुदान	1.10	-	0.04	-	1.14
आ.	**अन्य निधियां**					
1	वाटरशेड विकास निधि (i)	1,451.22	106.80	89.11	119.88	1,527.25
2	ब्याज विभेदक निधि - (विदेशी मुद्रा जोखिम)	235.71	-	-	2.11	233.60
3	ब्याज विभेदक निधि – टीएडबल्यूए	0.10	-	-	-	0.10
4	आदिवासी विकास निधि	5.77	-	-	-	5.77
5	जनजाति विकास निधि (ii)	1,336.44	26.70	100.09	121.10	1,342.13

क्रम सं.	*विवरण*	*01.04.2021 को प्रारंभिक शेष*	*वर्ष के दौरान परिवर्धन*	*जमा ब्याज**	*वर्ष के दौरान व्यय /समायोजन*	*31.03.2022 को शेष*
6	वित्तीय समावेशन निधि (iii)	2,731.47	320.41	168.91	353.69	2,867.10
7	वित्तीय समावेशन निधि – डिजिटल	11.97	-	-	3.86	8.11
8	पीओडीएफ़-आईडी (iv)	314.15	80.10	13.46	75.04	332.67
9	राष्ट्रीय बैंक – स्विस विकास सहयोग परियोजना	65.27	0.84	-	-	66.11
10	आरपीएफ़ और आरआईएफ़ –कृषीतर क्षेत्र संवर्धन निधि	20.55	-	0.06	2.19	18.42
11	सेंटर फॉर प्रोफेशनल एक्सीलेंस इन को ऑपरेटिव्ज – (सी-पेक)	2.95	-	0.18	-	3.13
12	एलटीआईएफ - ब्याज उतार-चढ़ाव प्रारक्षित निधि	109.82	24.01	4.39	-	138.22
13	जलवायु परिवर्तन के लिए राष्ट्रीय अनुकूलन निधि खाता	60.56	42.81	2.07	74.29	31.15
	कुल	**6,371.61**	**623.51**	**379.13**	**771.98**	**6,602.27**
	गत वर्ष	**6,020.77**	**709.78**	**387.46**	**746.40**	**6,371.61**

*अनुसूची 18 का आ-2 देखें

उक्त निधियों में क्रेडिट की गई ब्याज के अंतर की राशि पर भुगतान किया गया आयकर शामिल है.

(i) अदा किए गए आय-कर ₹ 26.88 करोड़ सहित

(ii) अदा किए गए आय-कर ₹ 6.72 करोड़ सहित

(iii) अदा किए गए आय-कर ₹ 80.64 करोड़ सहित

(iv) अदा किए गए आय-कर ₹ 20.16 करोड़ सहित

समेकित अनुसूची 4 - सरकारी योजनाएं

(राशि ₹ करोड़ में)

क्रम सं.	*विवरण*	*01.04.2021 को शेष*	*वर्ष के दौरान परिवर्धन*	*जमा ब्याज**	*वर्ष के दौरान व्यय/ समायोजन*	*31.03.2022 को शेष*
अ	**सरकारी सब्सिडी योजनाएं**					
1	शीतगृह परियोजनाओं के लिए पूंजी निवेश सब्सिडी - एनएचबी	0.89	-	-	-	0.89
2	शीतगृह के लिए पूंजी सब्सिडी – टीएम पूर्वोत्तर	0.08	-	-	-	0.08
3	लघु उद्योगों के प्रौद्योगिकी उन्नयन हेतु ऋण सहबद्ध पूंजी सब्सिडी	0.71	4.79	-	4.81	0.69
4	फसल उत्पादन हेतु ऑनफार्म जल प्रबंधन	0.07	-	-	-	0.07
5	बिहार भूगर्भ जल सिंचाई योजना (बीआईजीडब्ल्यूआईएस)	78.98	-	-	-	78.98
6	पशुधन विकास कार्यक्रम - उत्तर प्रदेश	0.03	-	-	-	0.03
7	पशुधन विकास कार्यक्रम – बिहार	0.09	-	0.01	-	0.1
8	राष्ट्रीय जैविक खेती परियोजना	1.47	-	-	(0.2)	1.67
9	समन्वित वाटरशेड विकास कार्यक्रम - राष्ट्रीय सम विकास योजना	4.29	-	-	-	4.29
10	डेयरी और पोल्ट्री उद्यम पूंजी निधि	0.14	-	-	(2.02)	2.16
11	पोल्ट्री उद्यम पूंजी निधि	-	-	-	0.00	0.00
12	आईएसएएम – कृषि विपणन आधारभूत संरचना	31.01	173.41	-	163.41	41.01
13	राष्ट्रीय पशुधन मिशन – पीवीसीएफ़ ईडीईजी	75.72	74.75	-	70.48	79.99
14	पोल्ट्री एस्टेट की स्थापना हेतु केंद्रीय प्रायोजित योजना	0.08	-	-	-	0.08
15	गरीबी उन्मूलन हेतु बहु-गतिविधि दृष्टिकोण – सुल्तानपुर, उत्तर प्रदेश	0.08	-	-	-	0.08
16	गरीबी उन्मूलन हेतु बहु-गतिविधि दृष्टिकोण - बैफ - रायबरेली - उत्तर प्रदेश	0.02	-	-	-	0.02
17	डेयरी उद्यमिता विकास योजना	84.50	-	-	79.40	5.10
18	सौर मिशन के लिए सीएसएस	0.03	-	-	-	0.03
19	सीएसएस - जेएनएनएसएम – सौर प्रकाश खाता	0.02	-	-	(2.74)	2.76
20	सीएसएस – सोलर फोटोवोल्टिक वाटर पंपिंग	0.03	-	-	-	0.03
21	पूंजी सब्सिडी योजना – कृषि क्लीनिक कृषि व्यवसाय केंद्र	7.38	9.97	-	15.79	1.56
22	सीएसएस – एमएनआरई लाइटिंग योजना 2016 खाता	0.11	-	-	-	0.11
23	कठोर चट्टानी क्षेत्र में कृत्रिम भूगर्भ जल पुनर्भरण	4.62	-	-	-	4.62

क्रम सं.	*विवरण*	*01.04.2021 को शेष*	*वर्ष के दौरान परिवर्धन*	*जमा ब्याज**	*वर्ष के दौरान व्यय/ समायोजन*	*31.03.2022 को शेष*
24	एफ़पीओ के निर्माण एवं संवर्धन पर सीएसएस	33.27	161.55	-	40.13	154.69
आ	**अन्य सरकारी योजनाएं**					
1	कृषि ऋण माफी और ऋण राहत योजना (एडीडब्ल्यूडीआर) 2008	282.12	-	-	-1.68	283.80
2	महिला स्वयं सहायता समूह (एसएचजी) विकास निधि	37.15	-	-	9.34	27.81
3	प्रोड्यूस निधि	23.57	-	-	8.13	15.44
4	23 बिना लाइसेंस वाले जिमस बैंकों का पुनरुद्धार	111.22	-	-	111.22	-
5	ब्याज सहायता (चीनी मीयादी ऋण)	432.03	160.00	-	426.93	165.10
6	एएमआई – कार्यशाला सहायता निधि	0.02	-	-	-	0.02
7	कच्छ सूखा रोध परियोजना	0.22	-	-	-	0.22
8	दीर्घावधि सहकारी ऋण संरचना के पुनरुद्धार के लिए पैकेज (एलटीसीसीएस)	20.00	-	-	-	20.00
9	हथकरघा क्षेत्र का पुनरुद्धार, सुधार और पुनर्संरचना	6.83	-	-	2.95	3.88
10	व्यापक हथकरघा पैकेज	2.05	-	-	2.05	-
11	ब्याज सहायता (एसएओ, एनआरएलएम, एनडबल्यूआर)	2,246.02	10,569.16	-	7,822.36	4,992.82
12	अरुणाचल कृषि स्टार्ट अप योजना	0.50	-	-	-	0.50
	कुल	**3,485.35**	**11,153.63**	**0.01**	**8,750.36**	**5,888.63**
	गत वर्ष	**2,447.42**	**6,298.86**	**0.02**	**5,260.95**	**3,485.35**

*अनुसूची 18 का आ-2 देखें

अनुसूची 5 – जमाराशियां

(राशि ₹ करोड़ में)

क्रम सं.	*विवरण*	*31.03.2022 को*	*31.03.2021 को*
1	केन्द्र सरकार	-	-
2	राज्य सरकारें	-	-
3	अन्य	-	
	क) चाय/ रबड़/ कॉफी जमाराशियाँ	60.50	64.10
	ख) आरआईडीएफ के अंतर्गत जमाराशियां	1,47,226.72	1,36,226.93
	ग) अल्पावधि सहकारी ग्रामीण ऋण निधि	44,541.43	44,644.51
	घ) अल्पावधि क्षेत्रा बैंक ऋण पुनर्वित्त निधि	9,898.10	9,921.00
	ङ) भंडारागार आधारभूत संरचना निधि	5,380.00	5,540.00
	च) दीर्घावधि ग्रामीण ऋण निधि	44,709.94	44,825.56
	छ) खाद्य प्रसंस्करण निधि	310.00	350.00
	कुल	**2,52,126.69**	**2,41,572.10**

समेकित अनुसूची 6 - बॉण्ड और डिबेंचर

(राशि ₹ करोड़ में)

क्रम सं.	*विवरण*	*31.03.2022 को*	*31.03.2021 को*
1	कर मुक्त बॉण्ड (अनुसूची 18 की टिप्पणी आ-15 देखें)	5,000.00	5,000.00
2	गैर-प्राथमिकता क्षेत्र बॉण्ड	1,07,292.00	75,648.30
3	पूंजी अभिलाभ बॉण्ड	-	1.29
4	पीएमएवाई-जी भारत सरकार के पूर्णतः सर्विस्ड बॉण्ड	48,809.60	48,809.60
5	एलटीआईएफ बॉण्ड	35,931.50	33,615.40
6	एलटीआईएफ - भारत सरकार द्वारा पूर्णतः सर्विस्ड बॉण्ड	19,506.80	18,755.00
7	एसबीएम (जी) - भारत सरकार द्वारा पूर्णतः सर्विस्ड बॉण्ड	12,298.20	2,298.20
8	सूक्ष्म सिंचाई निधि (एमआईएफ़) बॉन्ड	1,754.60	1,754.60
	कुल	**2,30,592.70**	**1,95,882.39**

समेकित अनुसूची 7 - उधार

(राशि ₹ करोड़ में)

क्रम सं.	*विवरण*	*31.03.2022 को*	*31.03.2021 को*
1	केंद्र सरकार	-	-
2	भारतीय रिजर्व बैंक	22,399.43	24,567.00
3	**अन्य**:		
(अ)	**भारत में**		
	i) जमा प्रमाणपत्र	16,184.19	11,590.27
	ii) वाणिज्यिक पत्र	34,551.80	42,457.06
	iii) त्रिपक्षीय रेपो / सीबीएलओ	16,993.10	12,044.39
	iv) मीयादी मुद्रा उधार	1,987.01	3,601.82
	v) बैंकों से मीयादी ऋण	70,623.34	26,435.54
	vi) जेएनएन सोलर मिशन	2.81	2.81
(आ)	**भारत से बाहर**		
1	(i) अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं	918.44	959.98
	कुल	**1,63,660.12**	**1,21,658.87**

समेकित अनुसूची 8 - चालू देयताएं और प्रावधान

(राशि ₹ करोड़ में)

क्रम सं.	*विवरण*	*31.03.2022 को*	*31.03.2021 को*
1	उपचित ब्याज/ डिस्काउंट	7,645.44	7,356.92
2	विविध लेनदार [अनुसूची 18 की टिप्पणी आ-4 देखें]	3,260.82	1,422.52
3	सब्सिडी प्रारक्षित निधि (सह-वित्तपोषण, शीतगृह, सीएसएएमआई)	47.02	87.74
4	ग्रेच्युटी के लिए प्रावधान	22.83	5.84
5	पेंशन के लिए प्रावधान	331.04	40.51
6	साधारण छुट्टी के नकदीकरण हेतु प्रावधान	380.28	376.53
7	सेवानिवृत्ति उपरांत चिकित्सा लाभ हेतु प्रावधान	138.12	135.10
8	वेतन संशोधन के लिए प्रावधान अनुसूची 18 की टिप्पणी आ-8 देखे)	880.00	680.00
9	बॉण्डों पर दावा न किया गया ब्याज	2.87	3.22
10	परिपक्व किन्तु दावा न किए गए बॉण्ड	17.63	31.75
11	बांड प्रीमियम	136.33	225.22
12	**प्रावधान और आकस्मिकताएं**		
	क) निवेश मूल्यह्रास खाता - सरकारी प्रतिभूतियां	704.50	355.70
	ख) सरकारी प्रतिभूतियों का परिशोधन – एचटीएम	68.47	103.92
	ग) मानक आस्तियों के लिए	2,750.60	2,637.17
	घ) अनर्जक निवेश	377.97	650.35
	ङ) काउंटरसाइक्लिकल प्रोविजनिंग बफर/ फ्लोटिंग प्रोविजन	2,014.45	1,264.45
	च) अन्य आस्तियों और प्राप्यों हेतु प्रावधान	136.36	141.24
	छ) आय कर हेतु प्रावधान [अग्रिम कर छोड़कर]	2,826.80	3,052.47
13	आस्थगित कर देयता	0.08	-
14	अन्य देयताएँ	83.23	120.16
	कुल	**21,824.84**	**18,690.81**

नोट: अनर्जक अग्रिमों को अनुसूची-11 में दर्शाए गए अग्रिमों में समायोजित किया गया है.

समेकित अनुसूची 9 - नकदी और बैंक शेष

(राशि ₹ करोड़ में)

क्रम सं.	*विवरण*	*31.03.2022 को*	*31.03.2021 को*
1	हाथ में रोकड़	0.00	0.00
2	**निम्नलिखित के पास शेष:**		
	अ) भारत में बैंकों में		
	i) भारतीय रिज़र्व बैंक	363.60	843.23
	ii) **अन्य बैंकों में**		
	क) चालू खाते में	1,757.74	637.18
	ख) बैंकों में जमा	3,952.15	3,270.68
	आ) भारत से बाहर स्थित बैंक	-	-
	कुल	**6,073.49**	**4,751.09**

समेकित अनुसूची 10 - निवेश

(राशि ₹ करोड़ में)

क्रम सं.	*विवरण*	*31.03.2022 को*	*31.03.2021 को*
1	**सरकारी प्रतिभूतियां**		
	क) केंद्र सरकार और राज्य सरकार की प्रतिभूतियां [अंकित मूल्य ₹33,316.36 (₹35,624.48)]	35,438.71	37,878.80
	ख) ट्रेजरी बिल [अंकित मूल्य ₹5,771.36 (₹565.00)]	5,629.89	556.31
2	**अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां**	-	-
3	निम्नलिखित में इक्विटी शेयर :		
(क)	कृषि वित्त निगम लि. [1,000 (1,000) – प्रत्येक ₹10,000 के इक्विटी शेयर]	1.00	1.00
(ख)	भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक [5,31,92,203 (5,31,92,203) - प्रत्येक ₹10 के इक्विटी शेयर]	966.28	966.28
(ग)	भारतीय कृषि बीमा कं. लि. [6,00,00,000 (6,00,00,000) - प्रत्येक ₹10 के इक्विटी शेयर]	60.00	60.00
(घ)	मल्टी कमोडिटी एक्स्चेज ऑफ इंडिया लि. [3,77,758 (3,77,758) - प्रत्येक ₹10 के इक्विटी शेयर]	0.30	0.30
(ङ)	नेशनल कमोडिटी एंड डेरिवेटिव्स एक्सचेंज लिमिटेड [56,25,000 (56,25,000) – [प्रत्येक ₹10 के इक्विटी शेयर]	16.88	16.88
(च)	सीएससी ई-गवर्नेंस सर्विसेज इंडिया लिमिटेड इक्विटी [55,000 (55,000) प्रत्येक ₹1000 के शेयर]	9.75	9.75
(छ)	भारतीय कृषि कौशल परिषद [4,000 (4,000) प्रत्येक ₹10 के शेयर]	0.00	0.00
(ज)	नेशनल ई-गवर्नेंस सर्विसेज इंडिया लिमिटेड [इक्विटी] [15,00,000 (15,00,000) प्रत्येक ₹10 के शेयर]	1.50	1.50
(झ)	नेशनल ई-रिपोजिटरी लि. [1,05,30,000 (1,05,30,000) प्रत्येक ₹10 के शेयर]	10.53	10.53
(ञ)	डिजिटल कॉमर्स के लिए ओपेन नेटवर्क [10,00,000 (0) प्रत्येक ₹100 के शेयर]	10.00	-
(ट)	अन्य इक्विटी निवेश	28.08	43.73
4	**डिबेंचर और बॉण्ड**		
(i)	रासकृग्रावि बैंकों के विशेष विकास डिबेंचर (अनुसूची 18 का नोट आ-13 देखें)	429.81	709.80
(ii)	अपरिवर्तनीय डिबेंचर	1,255.44	1,482.96
5	**अन्य**		
(क)	म्यूचुअल फंड	21,159.69	2,019.58
(ख)	वाणिज्यिक पत्र [अंकित मूल्य ₹200 (₹650)]	185.05	618.08
(ग)	जमाराशि प्रमाणपत्र [अंकित मूल्य ₹0 (₹250)]	-	243.44
(घ)	वेंचर कैपिटल फ़ंड / एआईएफ़	403.08	285.14
(ड़)	ईओएल के लिए निर्धारित निवेश	119.29	148.26
	कुल	**65,725.28**	**45,052.34**

समेकित अनुसूची 11- अग्रिम

(राशि ₹ करोड़ में)

क्रम सं.	*विवरण*	*31.03.2022 को*	*31.03.2021 को*
1	**पुनर्वित्त ऋण**		
(क)	उत्पादन और विपणन ऋण	1,19,562.90	1,06,372.45
(ख)	मध्यावधि – परिवर्तन ऋण	7.57	15.15
(ग)	**अन्य निवेश ऋण**		
(i)	मध्यावधि और दीर्घावधि परियोजना ऋण	2,38,692.47	1,96,221.72
(ii)	जिमस बैंकों को प्रत्यक्ष पुनर्वित्त	9,822.42	4,566.76
2	**प्रत्यक्ष ऋण**		
(क)	ग्रामीण आधारभूत संरचना विकास निधि के अंतर्गत ऋण	1,42,525.62	1,32,723.87
(ख)	भंडारागार आधारभूत संरचना निधि के अंतर्गत ऋण	4,776.63	5,155.31
(ग)	दीर्घावधि गैर परियोजना ऋण	1,385.91	3,464.94
(घ)	नाबार्ड आधारभूत संरचना विकास सहायता (नीडा) के अंतर्गत ऋण	23,319.06	17,998.73
(ड.)	उत्पादक संगठन विकास के लिए ऋण (पीओडीएफ़)	15.49	37.58
(च)	फेडरेशनों को ऋण सुविधा (सीएफएफ)	22,314.19	20,038.21
(छ)	खाद्य प्रसंस्करण निधि के अंतर्गत ऋण	303.69	293.35
(ज)	दीर्घावधि सिंचाई निधि के अंतर्गत ऋण	53,283.32	51,712.54
(झ)	प्रधानमंत्री आवास योजना- ग्रामीण	48,819.03	48,819.03
(ञ)	स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण (एसबीएमजी)	12,298.20	12,298.20
(ट)	डेयरी इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड (डीआईडीएफ़)	924.73	956.33
(ठ)	जीसीएफ़ के अंतर्गत ऋण	317.34	319.82
(ड)	सूक्ष्म सिंचाई निधि	2,083.72	1,827.47
(ढ़)	मत्स्यपालन और जलचरपालन आधारभूत संरचना विकास निधि	365.70	193.77
(ण)	**अन्य ऋण:**		
(i)	सूक्ष्म वित्त विकास इक्विटी निधि कार्यक्रम के अंतर्गत ऋण	0.10	0.11
(ii)	वाटरशेड विकास निधि कार्यक्रम के अंतर्गत ऋण	10.95	15.55
(iii)	जनजाति विकास निधि कार्यक्रम के अंतर्गत ऋण	0.08	0.34
(iv)	केएफडब्ल्यू यूपीएनआरएम के अंतर्गत ऋण	52.78	85.17
(v)	कृषीतर क्षेत्र संवर्धन गतिविधि कार्यक्रम के अंतर्गत ऋण	0.82	1.47
(vi)	नाबार्ड अधिनियम की धारा 30 के अंतर्गत प्रत्यक्ष ऋण	-	0.00
	कुल	**6,80,882.72**	**6,03,117.88**

नोट: रु. 2109.50 करोड़ की अनर्जक आस्तियों के लिए किए गए प्रावधानों को घटाकर कुल अग्रिम

समेकित अनुसूची 12 – अचल आस्तियां

(राशि ₹ करोड़ में)

क्रम सं.	*विवरण*	*31.03.2022 को*	*31.03.2021 को*
1	**भूमि : स्वामित्ववाली और पट्टाकृत** (अनुसूची 18 की टिप्पणी आ-11 देखें)		
	अथ शेष	201.08	201.08
	वर्ष के दौरान वृद्धि/समायोजन	-	-
	उप-जोड़	201.08	201.08
	घटाएं : बेची गई / बट्टे खाते डाली गई आस्तियों की लागत	-	-
	इति शेष (लागत पर)	201.08	201.08
	घटाएं : लीज प्रीमियमों का परिशोधन	62.47	60.80
	बही मूल्य	**138.61**	**140.28**
2	**परिसर** (अनुसूची 18 की टिप्पणी आ-11 देखें)		
	अथ शेष	655.74	582.73
	वर्ष के दौरान वृद्धि/समायोजन	-	73.00
	उप-जोड़	655.74	655.73
	घटाएं : बेची/ बट्टे खाते डाली गई आस्तियों की लागत	-	-
	इति शेष (लागत पर)	655.74	655.73
	घटाएं : अब तक मूल्यह्रास	318.60	301.39
	बही मूल्य	**337.14**	**354.34**
3	**फर्नीचर और फिक्सचर्स**		
	अथ शेष	67.80	69.72
	वर्ष के दौरान वृद्धि/समायोजन	3.10	(1.64)
	उप-जोड़	70.90	68.08
	घटाएं : बेची गई / बट्टे खाते डाली गई आस्तियों की लागत	1.84	0.30
	इति शेष (लागत पर)	69.06	67.78
	घटाएं : अब तक मूल्यह्रास	60.36	62.13
	बही मूल्य	**8.70**	**5.65**
4	**कंप्यूटर इंस्टॉलेशन और कार्यालय उपकरण**		
	अथ शेष	204.28	174.86
	वर्ष के दौरान वृद्धि/समायोजन	25.30	33.08
	उप-जोड़	229.58	207.94
	घटाएं : बेची गई / बट्टे खाते डाली गई आस्तियों की लागत	3.35	3.79
	इति शेष (लागत पर)	226.23	204.15
	घटाएं : अब तक मूल्यह्रास	174.55	145.14
	बही मूल्य	**51.68**	**59.01**
5	**वाहन**		
	अथ शेष	11.69	8.60
	वर्ष के दौरान वृद्धि/समायोजन	6.06	5.97
	उप-जोड़	17.75	14.57
	घटाएं : बेची गई / बट्टे खाते डाली गई आस्तियों की लागत	4.62	2.88

क्रम सं.	*विवरण*	*31.03.2022 को*	*31.03.2021 को*
	इति शेष (लागत पर)	13.13	11.69
	घटाएं : अब तक मूल्यह्रास	4.98	4.60
	बही मूल्य	**8.15**	**7.09**
6	चल रहे पूंजीगत कार्य	22.02	14.52
	कुल	**566.30**	**580.89**

समेकित अनुसूची 13 - अन्य आस्तियां

(राशि ₹ करोड़ में)

क्रम सं.	*विवरण*	*31.03.2022 को*	*31.03.2021 को*
1	उपचित ब्याज	3,174.88	3,238.85
2	भूस्वामियों के पास जमाराशि	2.27	1.56
3	सरकारी विभागों और अन्य संस्थाओं के पास जमाराशि	53.89	37.55
4	स्टाफ को आवास ऋण	121.05	121.15
5	स्टाफ को अन्य अग्रिम	87.61	85.17
6	भूस्वामियों को अग्रिमजमाराशि	-	-
7	विविध अग्रिम	153.42	107.38
8	अग्रिम कर	36.46	-
9	आस्थगित कर आस्तियां (अनुसूची 18 की टिप्पणी आ-9 देखें)	191.82	160.80
10	भारत सरकार/ अंतरराष्ट्रीय एजेंसियों से प्राप्य (अनुसूची 18 की टिप्पणी आ-3 देखें)	1,241.54	1,340.66
11	प्राप्य डिस्काउंट	46.58	11.53
12	बॉण्ड के निर्गम पर डिस्काउंट	77.30	3.23
13	अमूर्त आस्तियाँ	-	-
14	प्रतिभूतिकरण पीटीसी	34.77	47.74
	कुल	**5,221.59**	**5,155.62**

समेकित अनुसूची 14 - ब्याज और वित्तीय प्रभार

(राशि ₹ करोड़ में)

क्रम सं.	*विवरण*	*2021-22*	*2020-21*
1	**निम्नलिखित पर अदा किया गया ब्याज**		
(क)	आरआईडीएफ़ के अंतर्गत जमा	5,164.70	5,726.58
(ख)	अल्पावधि सहकारी ग्रामीण ऋण निधि	1,794.32	1,809.50
(ग)	अल्पावधि क्षेत्रा बैंक ऋण पुनर्वित्त निधि	363.65	397.46
(घ)	भंडारागार आधारभूत संरचना निधि	199.13	246.35
(ङ)	दीर्घावधि ग्रामीण ऋण निधि	1,363.36	1,627.40
(च)	खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों के लिए निधि	12.31	14.78
(छ)	चाय/ कॉफी/ रबड़ जमाराशियाँ	2.59	2.66
(ज)	मीयादी मुद्रा उधार	128.13	301.18
(झ)	बॉण्ड (अनुसूची 18 की टिप्पणी आ-15 देखें)	12,788.15	9,955.36
(ञ)	कार्पोरेट ऋण	1,819.62	512.14
(ट)	अंतरराष्ट्रीय एजेंसियों से उधार	25.31	28.33
(ठ)	वाणिज्यिक पेपर पर डिस्काउंट	1,002.54	1,040.96
(ड)	जमा प्रमाणपत्र पर डिस्काउंट	384.13	903.91
(ढ)	रेपो ब्याज व्यय	22.38	19.79
(ण)	निधियों पर अदा किया गया ब्याज	375.91	364.81
(त)	एसएलएफ़ के अंतर्गत आरबीआई से उधार	725.10	846.88
2	सीबीएलओ/ ट्राई पार्टी रेपो पर डिस्काउंट	330.45	359.30
3	बॉण्ड और प्रतिभूतियों पर डिस्काउंट, ब्रोकरेज, कमीशन और निर्गम पर व्यय	42.74	44.71
4	स्वैप प्रभार	29.70	33.55
	कुल	**26,574.22**	**24,235.65**

समेकित अनुसूची 15 अ - स्थापना और अन्य व्यय

(राशि ₹ करोड़ में)

क्रम सं.	*विवरण*	*2021-22*	*2020-21*
1	वेतन और भत्ते (अनुसूची 18 की टिप्पणी आ-8 देखें)	943.76	943.38
2	स्टाफ अधिवर्षिता निधियों में अंशदान/ उनके लिए प्रावधान	735.04	694.73
3	अन्य अनुलाभ और भत्ते	186.31	120.15
4	निदेशकों और समिति के सदस्यों की बैठकों से संबंधित यात्रा भत्ता और अन्य भत्ते	0.03	0.14
5	निदेशकों और समिति के सदस्यों का शुल्क	0.59	0.56
6	किराया, दरें, बीमा, बिजली आदि	40.95	27.73
7	यात्रा व्यय	39.61	26.51
8	मुद्रण और लेखन सामग्री	8.04	5.08
9	डाक, टेलीग्राम और टेलीफोन	21.11	20.02
10	मरम्मत	24.70	15.44
11	लेखापरीक्षकों की फीस	0.51	0.50
12	विधिक प्रभार	1.78	2.03
13	विविध व्यय	201.31	175.31
14	विविध आस्तियों पर व्यय	7.82	10.03
15	अध्ययन और प्रशिक्षण पर व्यय	69.79	61.17
	कुल	**2,281.35**	**2,102.77**

* * *नोट:* इसमें पूर्ववर्ती सांविधिक लेखा परीक्षकों को किया गया भुगतान शामिल है जिन्हें पहले यह राशि नहीं दी गई थी और पेंशन और ग्रेच्युटी ट्रस्ट के सांविधिक लेखा परीक्षकों को किया गया भुगतान भी शामिल है.

अनुसूची 15 आ - संवर्धनात्मक गतिविधियों पर व्यय

(राशि ₹ करोड़ में)

क्रम सं.	*विवरण*	*2021-22*	*2020-21*
1	सहकारिता विकास निधि	30.53	18.71
2	उत्पादक संगठन विकास निधि	5.11	4.03
3	ग्रामीण आधारभूत संरचना संवर्धन निधि	6.23	20.00
4	कृषि क्षेत्र संवर्धन निधि	22.17	17.67
5	जलवायु परिवर्तन निधि	1.75	0.97
6	ग्राम्य विकास निधि	46.09	27.67
7	उत्प्रेरक पूंजी निधि	-	6.00
	कुल	**111.88**	**95.05**

समेकित अनुसूची 16 - प्रावधान

(राशि ₹ करोड़ में)

क्रम सं.	*विवरण*	*2021-22*	*2020-21*
	निम्नलिखित के लिए प्रावधान :		
1	मानक आस्तियां	155.59	699.40
2	अनर्जक आस्तियाँ	398.49	878.61
3	अस्थायी प्रावधान	750.00	750.00
4	निवेश खाते के मूल्य में मूल्यह्रास – इक्विटी	10.64	-
	कुल	**1,314.72**	**2,328.01**

समेकित अनुसूची 17 - प्रतिबद्धताएं और आकस्मिक देयताएं

(राशि ₹ करोड़ में)

क्रम सं.	*विवरण*	*31.03.2022 को*	*31.03.2021 को*
1	निष्पादन के लिए शेष पूंजीगत संविदाओं के कारण प्रतिबद्धताएं	14.98	1.08
	उप जोड़ "अ"	**14.98**	**1.08**
2	आकस्मिक देयताएं		
(i)	बैंक गारंटी	30.44	24.18
(ii)	बैंक के विरुद्ध दावे जिन्हें ऋण के रूप में स्वीकार नहीं किया गया है	-	-
(iii)	लंबित विधिक मामले	10.18	9.00
	उप जोड़ "आ"	**40.62**	**33.18**
	कुल (अ + आ)	**55.60**	**34.26**

अनुसूची 18

31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित लेखा के भाग के रूप में महत्वपूर्ण लेखा नीतियां और टिप्पणियां

अ. महत्वपूर्ण लेखा नीतियां

1. लेखा तैयार करने का आधार:

लेखा ऐतिहासिक लागत परंपरा के आधार पर तैयार किया गया है और इन्हें तैयार करने में राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक अधिनियम, 1981 और उसके विनियमों में निहित महत्वपूर्ण पहलुओं, इन्स्टीट्यूट आफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (आईसीएआई) द्वारा जारी प्रयोज्य लेखा मानकों और भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित विनियामक मानदंडों का पालन किया गया है. उन मामलों को छोड़कर जहां अन्यथा उल्लिखित है, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (बैंक/नाबार्ड) ने निरंतर लेखा नीतियों का पालन किया है और ये नीतियां पिछले वर्ष में प्रयुक्त की गई नीतियों के अनुरूप हैं.

2. समेकन का आधार:

समेकित वित्तीय विवरण इंस्टीट्यूट आफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स आफ इंडिया द्वारा जारी लेखा मानक 21 – "समेकित वित्तीय विवरण" के अनुसार तैयार किए गए हैं.

शेयरों के अधिग्रहण के समय बैंक की निवल आस्तियों के भाग के समक्ष, बैंक के अपने निवेश की लागत के आधिक्य/ कमी को आरक्षित निधियों और अधिशेष में दर्शाया गया है. समान लेन-देनों तथा एक समान परिस्थितियों के लिए एक समान लेखांकन नीतियों का उपयोग कर समेकित वित्तीय विवरण तैयार किए गए हैं तथा किन्हीं विचलनों, यदि कोई हों, के लिए जहां तक संभव हो, समेकित वित्तीय विवरणों में आवश्यक समायोजन किया गया है तथा उसे उसी तरह प्रस्तुत किया गया है जिस तरह बैंक के एकल रूप में तैयार किए गए वित्तीय विवरणों में प्रस्तुत किया गया है. बैंक के मूल वित्तीय विवरणों के अनुसार उन्हें सुव्यवस्थित करने के लिए आवश्यकतानुसार सहायक कंपनियों से संबंधित आंकड़ों की प्रस्तुति को पुन:समूहित/ पुनर्वर्गीकृत किया गया है.

समेकन में उपयोग किए गए सहायक कंपनियों के वित्तीय विवरण उसी रिपोर्टिंग तारीख तक तैयार किए गए हैं जिस तारीख तक बैंक के विवरण तैयार किए गए है.

लेखा मानक-21 'समेकित वित्तीय विवरण' के पैरा 6 की व्याख्या इस प्रकार है:

"मूल उद्यम और उसकी सहायक कंपनियों के अलग-अलग वित्तीय विवरणों में दर्शाए जाने वाले सभी नोटों को समेकित वित्तीय विवरणों की टिप्पणियों में शामिल करने की आवश्यकता नहीं है. समेकित वित्तीय विवरण तैयार करने के लिए, नोट्स और अन्य व्याख्यात्मक सामग्री के संबंध में निम्नलिखित सिद्धांतों का पालन किया जा सकता है जो इसका एक अभिन्न अंग हैं:"

क) समेकित वित्तीय विवरणों की सही और स्पष्ट तस्वीर प्रस्तुत करने के लिए आवश्यक टिप्पणियां समेकित वित्तीय विवरणों में अभिन्न भाग के रूप में शामिल की गई हैं.

ख) केवल उन्हीं टिप्पणियों की जानकारी साझा की जाएगी जिनमें मदें शामिल हैं और जो वास्तविक हैं. इस उद्देश्य के लिए भौतिकता का आकलन समेकित वित्तीय विवरणों में निहित जानकारी के संबंध में किया जाता है. इसे देखते हुए, यह संभव है कि जब समेकित वित्तीय विवरणों के संदर्भ में वास्तविकता स्थिति का परीक्षण किया जाता है तो कुछ ऐसी टिप्पणियाँ जो पूर्व कंपनी या सहायक कंपनी के अलग-अलग वित्तीय विवरणों में प्रकट किए गए हैं, उन सूचनाओं को समेकित वित्तीय विवरणों में दिए जाने की आवश्यकता नहीं है.

ग) सहायक संस्थाओं और/ अथवा मूल कंपनी से संबंधित अतिरिक्त सांविधिक जानकारी अलग वित्तीय विवरणों में दी गई है परंतु इससे उस संस्था/ सहायक संस्था की समेकित वित्तीय विवरणों की सही और स्पष्ट जानकारी नहीं मिलती है अतः इन सूचनाओं को समेकित वित्तीय विवरणों में नहीं दिया जाना चाहिए. कंपनियों के मामले में, इन सूचनाओं से संबंधित उदाहरण को मानक रूप में संलग्न किया गया है."

इस संबंध में बैंक द्वारा ऐसे नोटों तथा नीतियों को समय-समय पर प्रकट किया है जो आरबीआई विनियमों के अनुसार जरूरी प्रकटीकरण को ठीक-ठीक प्रस्तुत करते हैं और मूल तथा सहायक कंपनियों के वित्तीय विवरणों में प्रकट किए गए अन्य नोटों एवं सांविधिक संरचना को छोड़ दिया गया है, जिनका समेकित वित्तीय विवरणों की सही और निष्पक्ष प्रस्तुति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है. हालांकि, एएस-15 के अनुसार कर्मचारी लाभ, पूंजी पर्याप्तता, गैर-निष्पादित आस्तियों का प्रकटीकरण, प्रावधान कवरेज अनुपात महत्वपूर्ण होने के कारण आरबीआई द्वारा निर्धारित प्रकटीकरण आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए इन नोट्स को समेकित नहीं किया गया है.

बैंक और इसकी सहायक संस्थाओं के वित्तीय विवरणों को, अंत:समूह शेषों और अंत:समूह लेनदेनों को पूरी तरह से हटा देने के बाद आस्तियों, देयताओं, आय एवं व्यय जैसी मदों के बही मूल्यों को पंक्ति-दर पंक्ति आधार पर एक साथ जोड़कर तैयार किया गया है. अंत:समूह लेन-देनों के परिणामस्वरूप अप्राप्त लाभों अथवा हानियों को हटा दिया गया है तथा लागत वसूल किए जाने तक अंत:-समूह लेन-देनों के परिणामस्वरूप हुई अप्राप्त हानियों को भी हटा दिया गया है.

समेकित सहायक संस्थाओं के निवल लाभ में माइनॉरिटी इंटरेस्ट के हिस्से की पहचान की गई है और शेयर धारकों से संबंधित निवल आय की गणना करने के लिए कर-पश्चात् लाभ के समक्ष इसे समायेजित किया गया है. समेकित सहायक संस्थाओं की हानियों में अन्य हितधारकों का हिस्सा यदि इक्विटी में उनके हिस्से से अधिक होता है तो अन्य हितधारकों से संबंधित आधिक्य की राशि और आगे हुई हानियों को समूह के हित के समक्ष समायोजित किया गया है.

समेकित सहायक संस्थाओं की निवल आस्तियों में माइनॉरिटी इंटरेस्ट का हिस्सा समेकित तुलन-पत्र में कंपनी के शेयरधारकों की देयताओं और इक्विटी से अलग प्रस्तुत किया गया है.

3. बैंक के खातों के समेकित वित्तीय विवरणों में निम्नलिखित सहायक संस्थाएं शामिल हैं:

सहायक संस्था का नाम	*निगमन देश*	*स्वामित्व का अनुपात (%)*	
		2021-22	*2020-21*
नैबकिसान फाइनान्स लि. (नैबकिसान)	भारत	87.77	87.48
नैबसमृद्धि फाइनान्स लि. (नैबसमृद्धि)	भारत	91.09	91.09
नैबफिन्स लिमिटेड (नैबफिन्स)	भारत	63.10	63.10
नाबार्ड कन्सल्टेंसी सर्विसेज प्रा.लि. (नैबकॉन्स)	भारत	100	100
नैबवेंचर्स लि. (नैबवेंचर्स)	भारत	100	100
नैबफ़ाउंडेशन	भारत	100	100
नैबसंरक्षण ट्रस्टी प्राइवेट लिमिटेड (नैबसंरक्षण)	भारत	100	100

4. अनुमानों का उपयोग:

सामान्यतया मान्य लेखाकरण सिद्धांतों (जीएएपी) के अनुरूप वित्तीय विवरणियां तैयार करने के लिए यह अपेक्षित होता है कि प्रबंधन कई ऐसी बातें मान कर चले और कई ऐसे अनुमान लगाए जो बैंक द्वारा रिपोर्ट की गई आस्तियों और देयताओं की राशि तथा वित्तीय विवरणों की तिथि पर आकस्मिक देयताओं के प्रकटन और रिपोर्टिंग की अवधि के दौरान परिचालनों के परिणामों की स्थिति को प्रभावित करते हैं. यद्यपि, ये अनुमान प्रबंधन तंत्र की सर्वोत्तम जानकारी पर आधारित हैं, लेकिन वास्तविक निष्कर्ष इन अनुमानों से भिन्न हो सकते हैं. इन भिन्नताओं को ऐसे परिणामों के वर्ष में दर्शाई जाती हैं.

5. राजस्व निर्धारण:

5.1 नकदी के आधार पर लेखाबद्ध निम्नलिखित मदों को छोड़ कर, आय और व्यय को उपचय के आधार पर लेखाबद्ध किया गया है:

i) भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) के दिशा देंशों के अनुसार पहचानी गई अनर्जक आस्तियों पर ब्याज.

ii) ऋण देयों की प्राप्ति में विलंब या ऋण की शर्तों का अनुपालन न करने पर, प्रभारित दंडात्मक ब्याज के रूप में आय.

iii) विभिन्न निधियों से दिए गए ऋणों पर सेवा प्रभार.

iv) किसी एक व्यय शीर्ष के अंतर्गत प्रत्येक लेखा इकाई पर ₹ 10,000 तक के व्यय.

v) ऋण प्रसंस्करण के लिए ग्राहकों से लिया गया अपफ्रंट प्रोसेसिंग शुल्क.

5.2 जारी किए गए बॉण्डों और वाणिज्यिक पत्रों की बट्टा राशि को बॉण्डों और वाणिज्यिक पत्रों की अवधि के लिए परिशोधित किया गया. बॉण्ड के निर्गम से संबंधित व्ययों को बॉण्ड के निर्गम वर्ष का व्यय माना गया है.

5.3 लाभांश प्राप्त होने का अधिकार स्थापित हो जाने पर निवेश पर लाभांश को लेखे में लिया गया है.

i) उद्यम पूंजी निधि से प्राप्त आय की गणना वसूली के आधार पर की गई है.

ii) जहां नाबार्ड पास थ्रू एजेंसी के रूप में कार्य कर रहा है, वहां संबंधित योजनाओं के अंतर्गत निधियों की उपलब्धता के अधीन अदायगी आधार पर सब्सिडी जारी करने संबंधी लेखांकन किया गया है.

5.4 अनर्जक आस्तियों की वसूली निम्नलिखित क्रम में विनियोजित की गई है:

i) दंडात्मक ब्याज

ii) लागत और प्रभार

iii) अतिदेय ब्याज और ब्याज

iv) मूलधन

5.5 संवितरित मीयादी ऋण से ब्याज और बैंकों से प्राप्त ब्याज को, बकाया राशि और लागू दर को ध्यान में रखते हुए अवधिगत अनुपात के आधार पर गणना में लिया गया है.

5.6 समझौता और समाधान/निपटान के मामले में, वसूली को संबंधित समझौता/समाधान निपटान की शर्तों के अनुसार विनियोजित किया जाएगा.

5.7 दायर किए गए / डिक्री किए गए खातों के मामले में, वसूली को निम्नानुसार विनियोजित किया जाएगा :

i) संबन्धित न्यायालय को निर्देशों के अनुसार.

ii) न्यायालय से विशिष्ट निर्देशों के न होने पर उक्त बिन्दु 5.5 के अनुसार.

5.8 सेवाओं से आय (नैबकॉन्स)

5.8.1 सौंपे गए कार्यों से आय: कंपनी के लिए सौंपे गए कार्यों से होने वाली आय, आय का मुख्य स्रोत है. सौंपे गए कार्य की समाप्ति पर कार्य विशेष से संबंधित आय और तदनुरूपी व्यय को गणना में लिया गया है. सौंपे गए कार्य को निम्नलिखित स्थितियों में पूर्ण माना गया है.

- डीपीआर तैयार करने के मामले में, जब पार्टी को ड्राफ्ट रिपोर्ट जारी कर दी गई हो.
- अन्य कार्यों के मामले में, जिनका निष्पादन किसी निर्धारित अवधि में किया जाना है, पूरे किए गए महत्वपूर्ण कार्यों और कार्य पूर्ण कर सौंप देना, निष्पादन की स्थिति और पूरी की गई अवधि के आधार पर आय-निर्धारण किया गया है.
- यदि सौंपा गया कार्य एक वर्ष से अधिक की अवधि के लिए समयबद्ध संविदा हो, तो ऐसे मामले में पूरी हुई अवधि के अनुपात में आय निर्धारण किया गया है.

5.8.2 कंपनी की नीति के अनुसार, जिन कार्यों को जारी नहीं रखा जाना है

उन्हें "जैसा है जहां है" आधार पर वहीं बंद कर दिया गया है और उनसे प्राप्त राशि को आय के रूप में माना गया है.

5.8.3 वर्तमान में चल रहे कार्यों, जहाँ कंपनी की नीति के अनुसार ऊपर प्रकट किए गए अनुसार आय बुकिंग के मानदंडों का पालन नहीं किया गया है, के लिए प्रगामी आधार पर प्राप्त अग्रिम राशि को ग्राहकों से प्राप्त अग्रिम के रूप में अलग से दर्शाया गया है और उसे चालू देयता के रूप में माना गया है. इस प्रकार के कार्यो पर हुए व्यय को चालू आस्तियों के रूप में दर्शाया गया है और कंपनी की नीति के अनुसार, इसे उस वर्ष के खर्च के रूप में दिखाया जाएगा जिसमें संबंधित आय का हिसाब किया गया है.

5.8.4 नैबकॉन्स को ग्रामीण विकास मंत्रालय (एमओआरडी), भारत सरकार द्वारा डीडीयू-जीकेवाई योजना के कार्यान्वयन के संबंध में केंद्रीय तकनीकी सहायता एजेंसी (सीटीएसए) के रूप में नियुक्त किया गया है. प्रचलित दिशा-निर्देशों के अनुसार, नैबकॉन्स आवंटित राज्यों के संबंध में कुल प्रोग्रामेटिक लागत का 1.5% (जीएसटी सहित) की दर से अनुप्रवर्तन लागत को दो समान किस्तों – प्रत्येक 50% राशि में प्राप्त करने का हकदार है, जिसका हिसाब प्रत्येक किश्त के जारी/स्वीकृति के समय आय के रूप में किया जाएगा.

उपर्युक्त के अतिरिक्त, नैबकॉन्स को कई राज्यों द्वारा तकनीकी सहायता एजेंसी (टीएसए) के रूप में भी नियुक्त किया गया है, जिसके संबंध में आय को एसआरएलएम/एसएसडीएम के साथ निष्पादित समझौता ज्ञापन में बताई गई सहमत शर्तों के अनुसार मान्यता दी गई है.

इस प्रकार, नैबकॉन्स ने एमओआरडी/ एसआरएलएम से देय राशि को आय माना है, जो राशि या तो स्वीकृत है अथवा देय है, लेकिन प्रशासनिक कारणों, धन की कमी आदि के कारण इसका भुगतान नहीं किया गया है.

इसके अलावा, नैबकॉन्स ने परियोजना मूल्यांकन एजेंसी का कार्य भी किया है. परियोजना मूल्यांकन से संबंधित आय की गणना पीआईए से डिलिवरेबल्स के पूरा होने/ फीस की प्राप्ति पर की गई है. ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा कार्य योजना की अवधि को (वित्त वर्ष 2019-22) को 31.03.2023 तक बढ़ा दिया गया है. (पत्र संख्या J-17060/223/2016DDU-GKY(350864)- दिनांक 23 दिसंबर, 2021 के माध्यम से समयावधि बढ़ाने की मंजूरी दी गई).

6. संपत्ति, संयंत्र और उपकरण (अचल आस्तियां)

6.1 अचल आस्तियों को संचित मूल्यह्रास और क्षति के कारण होने वाली हानि, यदि कोई हो, को घटा कर, अधिग्रहण लागत पर दर्शाया गया है. आस्तियों की लागत में उनके अधिग्रहण और उन्हें स्थापित करने से संबंधित कर, शुल्क, भाड़े और अन्य प्रासंगिक व्यय शामिल हैं. विद्यमान आस्तियों पर बाद में किए गए व्यय को तभी पूंजीकृत किया गया है जब उससे, विद्यमान आस्तियों का भविष्यगत लाभ उनके पूर्व में आकलित कार्यनिष्पादन के स्तर से आगे बढ़ जाता है.

6.2 भूमि में पूर्ण स्वामित्व वाली और पट्टे वाली भूमि शामिल है.

6.3 परिसर में भूमि का मूल्य शामिल है, जहां अलग-अलग मूल्य तत्काल उपलब्ध नहीं हैं.

6.4 वित्त वर्ष 2017-18 के दौरान पूर्ण स्वामित्व वाली भूमि और पट्टेवाली भूमि पर स्थित परिसर पर मूल्यह्रास की नीति में संशोधन किया गया है और सीधी रेखा पद्धति के आधार पर 30 वर्षों की अवधि के लिए इसकी गणना की गई है.

6.5 पट्टाकृत भूमि पर भुगतान किए गए अपफ्रंट लीज प्रीमियम को लीज की अवधि में 5% की दर से प्रारंभिक अवलिखित मूल्य पर या लीज की शेष अवधि पर शेष लीज प्रीमियम की आनुपातिक राशि, जो भी अधिक हो, के अनुसार परिशोधित किया गया है.

6.6 ₹1 लाख और उससे कम लागत की प्रत्येक अचल परिसंपत्ति (आसानी से स्थानांतरणीय इलेक्ट्रानिक आस्तियों जैसे लैपटाप, मोबाइल फोन इत्यादि को छोड़कर) को उनके अधिग्रहण वर्ष में लाभ-हानि खाते में प्रभारित किया गया है. आसानी से स्थानांतरणीय इलेक्ट्रानिक आस्तियों, जैसे लैपटाप, मोबाइल फोन आदि को पूंजीकृत किया गया है यदि प्रत्येक मद की लागत ₹10,000 से अधिक है. ₹1 लाख और उससे कम लागत वाले और स्वतंत्र रूप से खरीदे गए प्रत्येक सॉफ्टवेयर को लाभ हानि खाते में लिया गया है.

6.7 अन्य अचल आस्तियों पर सीधी रेखा पद्धति के आधार पर आस्तियों की प्रबंधन द्वारा सुनिश्चित की गई अनुमानित उपयोगिता अवधि पर निम्नलिखित दरों से मूल्यह्रास प्रभारित किया गया है:

आस्तियों का प्रकार	*मूल्यह्रास दर*
फर्नीचर और फिक्सचर्स	20%
कम्प्यूटर और सॉफ्टवेयर	33.33%
कार्यालय उपकरण	20%
वाहन	20%

6.8 आस्तियों के मूल्यह्रास की गणना उस महीने से की जाती है जिस माह से वर्ष के दौरान खरीदी गई आस्ति को पूंजीकृत किया जाता है और यह गणना तब तक की जाती है जब तक उस आस्ति की बिक्री नहीं हो जाती.

6.9 चल रहे पूंजीगत कार्य में पूंजी अग्रिम शामिल है और इसे अचल सम्पत्तियों के अंतर्गत प्रकट किया गया है.

6.10 सहायक संस्थाओं के मामले में अचल आस्तियों पर मूल्यह्रास की गणना निम्नानुसार की गई है;

सहायक संस्था का नाम	*मूल्यह्रास की प्रणाली*
नैबकिसान	अनुसूची II के अनुसार अवलिखित मूल्य
नैबसमृद्धि	अनुसूची II के अनुसार अवलिखित मूल्य
नैबफिन्स	अनुसूची II के अनुसार सीधी रेखा विधि
नैबकॉन्स	अनुसूची II के अनुसार सीधी रेखा विधि
नैबवेंचर्स	अनुसूची II के अनुसार सीधी रेखा विधि
नैबफाउंडेशन	अनुसूची II के अनुसार सीधी रेखा विधि
नैबसंरक्षण	अनुसूची II के अनुसार अवलिखित मूल्य

7. निवेश

7.1 प्रतिभूतियों में लेनदेन "निपटान तिथि" पर दर्ज किए जाते हैं.

7.2 भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार निवेशों को "व्यापार के लिए धारित (एचएफटी)", "बिक्री के लिए उपलब्ध (एएफएस)" और "परिपक्वता के लिए धारित (एचएमटी)" श्रेणियों (यहां से आगे "श्रेणियां" कहा गया है) में वर्गीकृत किया गया है.

7.3 जो प्रतिभूतियां मुख्यत: क्रय की तारीख से 90 दिनों के भीतर फिर से बेचे जाने के लिए धारित हैं उन्हें "एचएफटी" श्रेणी में वर्गीकृत किया गया है. जिन निवेशों को बैंक परिपक्वता तक रखना चाहता है उन्हें "एचटीएम" श्रेणी में वर्गीकृत किया गया है. जिन प्रतिभूतियों को इन दोनों में से किसी श्रेणी में वर्गीकृत नहीं किया जाना है उन्हें "एएफएस" श्रेणी में वर्गीकृत किया गया है.

7.4 जहाँ लागत अंकित मूल्य के समान या कम है वहाँ परिपक्वता तक धारित श्रेणी के अंतर्गत वर्गीकृत निवेशों को अधिग्रहण की लागत पर रखा गया है वहाँ यदि लागत, अंकित मूल्य से अधिक है तो प्रीमियम को परिपक्वता के लिए शेष अवधि के लिए परिशोधित किया गया है. "एचटीएम" श्रेणी के अंतर्गत, अस्थायी निवेशों को छोड़कर सहायक संस्थाओं और संयुक्त उद्यमों में किए गए निवेश के मूल्य में कमी होने के संबंध में यथावश्यक प्रावधान किया गया है. यदि ऐसे निवेशों के मूल्य में कोई कमी आती है/ परिशोधन हुआ है तो इसके लिए प्रावधानों को चालू देयताओं और प्रावधानों के तहत शामिल किया गया है.

7.5 "एचटीएम" के तहत वर्गीकृत निवेशों के मोचन पर प्राप्त लाभों को लाभ और हानि लेखा में दर्शाया गया है.

7.6 "एएफएस" के अंतर्गत निवेशों को अखिल भारतीय निर्धारित आय मुद्रा बाजार और व्युत्पन्न संघ (एफआईएमएमडीए) और फाइनैंशियल बेंचमार्क्स इंडिया प्रा. लि. द्वारा घोषित दर पर स्क्रिप-वार बाजार दर के अनुसार मार्क किया गया है. यदि कोई निवल मूल्यह्रास है, तो "एएफएस" के तहत वर्गीकृत श्रेणी में निवेश के लिए प्रावधान किया गया है और मूल्यवृद्धि को अनदेखा किया गया है. अलग अलग स्क्रिप के अंकित मूल्य में पुनर्मूल्यांकन के बाद कोई परिवर्तन नहीं किया गया है.

7.7 "एचएफटी" के अंतर्गत निवेशों को अखिल भारतीय निर्धारित आय मुद्रा बाज़ार और व्युत्पन्न संघ (एफआईएमएमडीए) और फाइनैंशियल बेंचमार्क्स इंडिया प्रा.लि. द्वारा घोषित दर पर स्क्रिप-वार बाजार बाजार दर के अनुसार मार्क किया गया है. मूल्यह्रास/ मूल्यवृद्धि को "एचएफटी" श्रेणी के निवेशों में मान्य किया गया है. अलग अलग स्क्रिप के अंकित मूल्य में पुनर्मूल्यांकन के बाद परिवर्तन किया गया है.

7.8 सहायक संस्थाओं/ संयुक्त उद्यमों और सहयोगी संस्थाओं में किए गए निवेशों को परिपक्वता तक धारित के रूप में वर्गीकृत किया गया है.

7.9 ट्रेजरी बिलों, वाणिज्यिक पत्रों और जमा राशि प्रमाणपत्रों का मूल्यांकन रखरखाव / वहन लागत पर किया गया है.

7.10 जिन कंपनियों में निवेश किया गया है यदि उन कंपनियों के नवीनतम लेखापरीक्षित खाते उपलब्ध हैं तो कोट न किए गए शेयरों का मूल्यांकन ब्रेक अप मूल्य पर किया गया है या भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देश के अनुसार ₹1/- प्रति कंपनी की दर से किया गया है.

7.11 असूचीबद्ध इक्विटियों सहित निवेशों के संबंध में अधिग्रहण के समय अदा की गई ब्रोकरेज, कमीशन आदि की राशि को राजस्व के अंतर्गत प्रभारित किया गया है.

7.12 शेयर बाजार में खरीदे/ बेचे गए शेयरों के अधिग्रहण/ बिक्री पर अदा की गई ब्रोकरेज की राशि को पूंजीकृत किया गया है.

7.13 ऋण निवेश पर खंडित अवधि के लिए अदा किये गये/ प्राप्त ब्याज को ब्याज व्यय/ आय माना गया है और लागत/ बिक्री प्रतिफल शामिल नहीं किया गया है.

7.14 विभिन्न श्रेणियों के बीच प्रतिभूति के अंतरण को, अंतरण की तारीख को अधिग्रहण लागत/ बही मूल्य/ बाज़ार मूल्य में से जो भी कम हो, उस को हिसाब में लिया गया है और अंतरण के बाद यदि कोई मूल्यह्रास है तो उसके लिए पूर्ण प्रावधान किया गया है.

7.15 सरकारी प्रतिभूतियों के पुनर्मूल्यांकन पर परिशोधन/ लाभ/ हानि को लाभ-हानि खाते में प्रभारित किया गया है.

7.16 निवेशों के लेखांकन के लिए भारित औसत लागत पद्धति का पालन किया गया है.

7.17 उद्यम पूंजी निधियों में निवेश का लेखा-जोखा संबंधित निधि द्वारा अपनाई गई लेखांकन नीति के अनुसार किया गया है.

7.18 एनपीआई वर्गीकरण के लिए भारतीय रिजर्व बैंक के विवेकपूर्ण मानदंडों के अनुरूप निवेश आय के उचित प्रावधान/आय की अमान्यता के अधीन हैं. गैर-निष्पादित प्रतिभूतियों के संबंध में मूल्यह्रास/प्रावधान अन्य निष्पादित प्रतिभूतियों के मूल्यवृद्धि के समक्ष समायोजित नहीं किए जाते हैं.

यदि किसी इकाई द्वारा ली गई कोई क्रेडिट सुविधा बैंक की लेखा-बहियों में एनपीए है, तो उस इकाई द्वारा जारी किसी भी प्रतिभूति में निवेश को भी एनपीआई माना जाएगा.

प्रतिभूतियों अर्थात बांड, डिबेंचर आदि के मामले में जहां उधारकर्ताओं द्वारा ऋण सुविधाओं का लाभ उठाया गया है, वहाँ वाईटीएम या आईआरएसी मानदंड, इनमें से जो भी अधिक हो, के आधार पर प्रावधान किया गया है.

7.19 रेपो/रिवर्स रेपो के तहत बेची और खरीदी गई प्रतिभूतियों की गणना संपार्श्विक उधार और उधार लेनदेन के रूप में की जाती है. हालाँकि, प्रतिभूतियों को सामान्य एकमुश्त बिक्री / खरीद लेनदेन के मामले में अंतरित भी किया जाता है और ऐसी प्रतिभूतियों को रेपो / रिवर्स रेपो खातों और कॉन्ट्रा प्रविष्टियों का उपयोग करके परिलक्षित किया जाता है. उपर्युक्त प्रविष्टियां परिपक्वता की तारीख को उलट दी जाती हैं. लागत और राजस्व की गणना ब्याज व्यय/ आय, जैसा भी मामला हो, के रूप में की जाती है.

7.20 डेरिवेटिव लेनदेन हेजिंग उद्देश्यों के लिए किए जाते हैं.

हेज स्वैप

वित्तीय विवरण में बाज़ार मूल्य या लागत से कम पर आस्ति या देयता के साथ किए गए नामित स्वैप को छोड़कर हेज ब्याज वाली आस्ति या देयता के साथ ब्याज पर स्वैप का लेखा-जोखा उपचय आधार पर किया गया है. स्वैप की समाप्ती पर, स्वैप के शेष संविदात्मक समय या आस्ति/ देयता की शेष अवधि, जो भी कम हो, के आधार पर लाभ और हानि की गणना की गई है.

8. अग्रिम और उनके लिए प्रावधान

8.1 अग्रिमों का वर्गीकरण भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार किया गया है. आवधिक समीक्षा के आधार पर और भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा प्रावधानन के लिए निर्धारित मानदंडों के अनुरूप पहचाने गए अग्रिमों के संबंध में मानक आस्तियों और अनर्जक आस्तियों के लिए प्रावधान किया गया है.

8.2 अग्रिमों की पुन: संरचना/ पुन:अनुसूचीकरण के मामले में, पुन: संरचना/ पुन:अनुसूचीकरण के समय, मूल करार के अनुसार भावी मूलधन और ब्याज के वर्तमान मूल्य तथा संशोधित करार के अनुसार भावी मूलधन और ब्याज के वर्तमान मूल्य के बीच के अंतर के लिए प्रावधान किया गया है.

8.3 अनर्जक अग्रिमों के समक्ष किए गए प्रावधानों को घटाकर अग्रिमों को दिखाया गया है.

8.4 निधियों से मंजूर किए गए ऋणों के संदर्भ में अनर्जक ऋणों के लिए प्रावधानों को लाभ-हानि लेखा में प्रभारित किया गया है.

8.5 एनपीए पर किए गए विशिष्ट प्रावधान के अतिरिक्त, आरबीआई के मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार मानक परिसंपत्तियों के लिए सामान्य प्रावधान भी

किए गए हैं. इन प्रावधानों को तुलन पत्र की अनुसूची 8 में "वर्तमान देयताएं और प्रावधान" शीर्ष के तहत दर्शाया गया है और निवल एनपीए की गणना करने के लिए इन पर विचार नहीं किया गया है.

9. विदेशी मुद्रा लेन-देन

इन्स्टिट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स ऑफ इंडिया (आईसीएआई) द्वारा विदेशी विनिमय दरों में परिवर्तन के प्रभाव के संबंध में जारी लेखा मानक (एएस-11) के अनुसार विदेशी मुद्रा लेन-देनों का लेखांकन कार्य निम्नानुसार किया गया है:

9.1 रिपोर्टिंग की तिथि/ वर्ष के अंत में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अधिसूचित विनिमय दरों पर विदेशी मुद्रा की आस्तियों और देयताओं का पुन:मूल्यांकन किया गया है. विदेशी मुद्रा उधार के हेज किए गए भाग को कांट्रैक्टेड मूल्य पर उल्लिखित किया गया है और वर्ष की समाप्ति के विनिमय दर के अनुसार हेज किए गए उधार की देयता को तुलनपत्र में कोंट्रा मद (तुलन पत्र से इतर मद) के रूप में दर्शाया गया हैं.

9.2 आय और व्यय मदों को लेन-देन की तारीख को लागू विनिमय दरों के हिसाब से परिवर्तित कर दिया गया है.

10. विदेशी विनिमय संविदाओं के लिए लेखांकन

10.1 विदेशी मुद्रा विनिमय संविदाएं विदेशी मुद्रा उधारों की चुकौती को हेज करने के लिए की गई हैं.

10.2 हेज किए गए विदेशी मुद्रा उधारों का उल्लेख संविदागत दर पर किया गया है.

10.3 वर्ष के अंत में एफईडीएआई/ एफ़बीआईएल द्वारा अधिसूचित विनिमय दरों पर हेज न की गई विदेशी मुद्रा विनिमय संविदाओं का पुन:मूल्यांकन किया गया है. पुन: मूल्यांकन के परिणामस्वरूप अभिलाभ/ घाटे को लाभ और हानि खाते में वायदा विनिमय संविदा लेखा के पुन:मूल्यांकन पर प्राप्त अभिलाभ/ घाटा' शीर्ष के अंतर्गत मान्य किया गया है. प्रीमियम/ डिस्काउंट का लेखा-जोखा पूरी संविदा अवधि के लिए किया गया है.

11. कर्मचारी लाभ

भारतीय रिज़र्व बैंक से स्थानांतरित सभी कार्मिकों को बैंक के कर्मचारी के रूप में माना गया है और तदनुसार कर्मचारी लाभ के लिए प्रावधान किए गए हैं. प्रत्येक तुलन पत्र की तारीख पर यथा आवश्यकता दीर्घावधि कर्मचारी लाभों के लिए बीमांकिक मूल्यांकन किया गया है.

11.1 **अल्पावधि कर्मचारी लाभ:**

कर्मचारियों हेतु अल्पावधि लाभ, जिनका भुगतान कर्मचारियों द्वारा दी गई सेवाओं के बदले में अपेक्षित है, की अबट्टाकृत राशि उसी अवधि के लिए मानी गई हैं जिस अवधि में कर्मचारी ने सेवाएं प्रदान की हैं.

11.2 **सेवानिवृत्ति पश्चात् लाभ:**

i) **निर्धारित अंशदान योजना**

उन सभी पात्र कर्मचारियों के लिए जिन्होंने 31 दिसम्बर 2011 को या इससे पहले बैंक में कार्यभार ग्रहण किया है, बैंक में भविष्य निधि योजना है. इस योजना का प्रबंधन भारतीय रिजर्व बैंक करता है. अंशदान को उपचय के आधार पर मान्य किया गया है.

बैंक ने उन सभी अधिकारियों/ कर्मचारियों के लिए नई पेंशन योजना (एनपीएस) आरंभ की है जो 01 जनवरी 2012 को या उसके बाद बैंक की सेवाओं में आए हैं. बैंक ने एक निर्धारित अंशदान योजना 'एनपीएस - कार्पोरेट सेक्टर मॉडल' को अपनाया है जो कि पेंशन निधि विनियामक व विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए) द्वारा तैयार की गई है. निधि में अंशदान उपचय आधार पर किया जाता है.

ii) **निर्धारित लाभ योजना**

क) सभी पात्र कर्मचारियों के मामले में अनुमानित इकाई ऋण पद्धति के आधार पर प्रत्येक वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर ग्रेच्युटी के लिए प्रावधान किया गया है. योजनाके लिए निधि बैंक द्वारा प्रदान की जाती है और इसका प्रबंधन एक अलग ट्रस्ट द्वारा किया जाता है. बीमांकिक लाभ अथवा हानि को लाभ और हानि लेखा में उपचय आधार पर दर्शाया गया है.

ख) 31 दिसम्बर 2011 को या उससे पहले बैंक में कार्यग्रहण करने वाले सभी पात्र कर्मचारियों के पेंशन के लिए प्रावधान बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर किया गया है. इस योजना के लिए बैंक निधि प्रदान करता है और इसका प्रबंध एक अलग ट्रस्ट स द्वारा किया जाता है.

iii) **अन्य दीर्घावधि लाभ**

बैंक के सभी पात्र कर्मचारी क्षतिपूर्तियुक्त अनुपस्थितियों के लिए अधिकृत हैं. बैंक के सभी पात्र कर्मचारी सेवानिवृत्ति पश्चात् चिकित्सा लाभों के लिए भी पात्र हैं. अन्य दीर्घावधि लाभों की लागत का निर्धारण प्रत्येक तुलन पत्र की तारीख पर अनुमानित इकाई ऋण पद्धति का प्रयोग करके बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर किया गया है. बीमांकिकीय अभिलाभ या घाटे को लाभ और हानि लेखा में उपचय के आधार पर दर्शाया गया है.

12. आय पर कर

12.1 चालू अवधि के लिए आय पर कर का निर्धारण आयकर अधिनियम, 1961 के उपबंधों के अनुरूप परिगणित कर योग्य आय और कर जमाओं और निर्धारणों/ अपीलों के संभावित परिणाम के आधार पर किया गया है.

12.2 आस्थगित कर की पहचान समयजन्य अंतर अर्थात् वर्ष के लिए कर-योग्य आय और लेखागत आय के बीच के अंतर के आधार पर की गई है और कर की दरों और तुलनपत्र की तारीख की स्थिति के अनुसार अधिनियमित कानूनों या स्थानापन्न रूप से अधिनियमित कानूनों का उपयोग करते हुए उनकी राशि निर्धारित की गई है.

12.3 अनवशोषित मूल्यह्रास/ व्यवसायगत हानियों से संबंधित आस्थगित आस्तियों की पहचान कर उन्हें उस सीमा तक आगे ले जाया गया है, जहां लगभग यह निश्चित हो जाए कि भविष्य में पर्याप्त कर-योग्य आय उपलब्ध होगी जिसके समक्ष ऐसी आस्थगित कर आस्तियों की वसूली की जा सकेगी.

12.4 निधियों से अर्जित कर योग्य आय पर भुगतान/ प्रावधान किए गए करों की गणना संबंधित निधियों के व्यय के रूप में की गई है.

13. खंड रिपोर्टिंग

13.1 खंड राजस्व में, खंड से सीधे संबंधित/ खंड को आबंटन योग्य ब्याज और अन्य आय शामिल हैं.

13.2 जो आय संपूर्ण बैंक से संबंधित है और जिसे किसी खंड को आबंटित नहीं

किया जा सकता उसे "अन्य आबंटित न की जा सकने योग्य बैंक आय" में शामिल किया गया है.

13.3 जो व्यय किसी खंड से सीधे संबंधित/ खंड को आबंटन-योग्य हैं उनको खंड का परिणाम निर्धारित करने के लिए हिसाब में लिया गया है. ऐसे व्यय जिनका संबंध संपूर्ण बैंक से है और जिन्हें किसी खंड को आबंटित नहीं किया जा सकता उनको "अन्य आबंटित न किए जा सकने योग्य व्यय" में शामिल किया गया है.

13.4 खंड आस्तियों और देयताओं में संबंधित खंड से सीधे जुड़ी आस्तियां और देयताएं शामिल हैं. आबंटित न की जा सकने योग्य आस्तियों और देयताओं में संपूर्ण बैंक से संबंधित किसी खंड को आबंटित नहीं की जा सकने वाली आस्तियां और देयताएं शामिल हैं.

14. आस्तियों की क्षतिग्रस्तता

14.1 प्रत्येक तुलन-पत्र की तारीख को आस्तियों की अंकित राशि की जांच क्षतिग्रस्तता के लिए की जाती है ताकि यह निर्धारण किया जा सके कि:

i) यदि क्षतिग्रस्तताजन्य कोई हानि हुई हो तो, उसके लिए आवश्यक प्रावधान; अथवा

ii) पिछली अवधि में मान्य की गई क्षतिग्रस्तताजन्य हानि, यदि कोई हो, का प्रत्यावर्तन किया जा सके.

14.2 क्षतिग्रस्तताजन्य हानि तब मानी गई है जब किसी आस्ति की धारिता राशि उससे वसूली योग्य राशि से अधिक हो.

15. प्रावधान, आकस्मिक देयताएं और आकस्मिक आस्तियां

15.1 प्रावधानों के लिए केवल उन्हीं देयताओं को मान्य किया गया है जिनका आकलन वास्तविक अनुमानों का प्रयोग करते हुए किया जा सके यदि:

क) किसी पिछली घटना के परिणामस्वरूप बैंक का कोई वर्तमान दायित्व है.

ख) दायित्वों के निपटान हेतु संसाधनों के बर्हिगमन की संभावना है; और

ग) देयता की राशि का विश्वसनीय अनुमान लगाया जा सकता है.

15.2 आकस्मिक देयता का निम्न मामलों में खुलासा किया गया है:

क) पिछली घटनाओं से उत्पन्न वर्तमान दायित्व, जब इसकी संभावना नहीं हो कि दायित्व को पूरा करने के लिए संसाधनों के बर्हिगमन की आवश्यकता पड़ेगी,

ख) कोई वर्तमान दायित्व, जब वास्तविक अनुमान संभव नहीं हो, और

ग) पिछली घटनाओं से उत्पन्न वर्तमान दायित्व जहां संसाधनों के बर्हिगमन की संभावना न के बराबर हो.

15.3 आकस्मिक आस्तियों को न तो मान्य किया गया है और न ही उन्हें प्रकट किया गया है.

15.4 प्रत्येक तुलन-पत्र की तिथि पर प्रावधानों, आकस्मिक देयताओं और आकस्मिक आस्तियों की समीक्षा की जाती है.

16. नकदी और नकदी समतुल्य

(क) नकदी प्रवाह विवरणियों के प्रयोजन के लिए नकदी और नकदी समतुल्यों में बैंकों में नकदी, हाथ में नकदी, बैंकों की मांग जमाराशियां तथा अन्य अल्पावधि निवेश शामिल हैं जिनकी मूल परिपक्वता अवधि तीन माह या उससे कम है.

(ख) अप्रत्यक्ष पद्धति का उपयोग करते हुए नकदी प्रवाह विवरण की रिपोर्टिंग की जाती है. उपलब्ध सूचना के आधार पर परिचालन, वित्तपोषण और निवेश गतिविधि से नकदी प्रवाह को अलग-अलग किया गया है.

17. पूर्व अवधि की आय/ व्यय मदें

पूर्व अवधि प्रकृति की आय/ व्यय मदें उस समय अलग से प्रकट की गई हैं जब एकल पूर्व अवधि आय/ व्यय सकल आय के 0.5% से ज्यादा हो.

18. भारतीय लेखा मानकों का कार्यान्वयन (भारतीय लेखा मानक)

एमसीए द्वारा दिनांक 18 जनवरी 2016 को जारी प्रेस विज्ञप्ति सं. 11/10/2009 सीएल-वी के अनुसार बैंकों को 01 अप्रैल 2018 से प्रारंभ होने वाली लेखा अवधि और आगे के लिए भारतीय लेखा मानकों पर आधारित वित्तीय विवरण तैयार करना अपेक्षित है जिन्हें 31 मार्च 2018 को समाप्त और उसके बाद की अवधि के लिए तुलनात्मक होना होगा. भारतीय रिज़र्व द्वारा अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाओं के लिए भारतीय लेखा मानकों का कार्यान्वयन अगली सूचना तक स्थगित कर दिया गया है.

19. कोविड-19 का प्रभाव

19.1 पूरे विश्व में और भारत में कोविड -19 के प्रकोप के कारण देश में लगे आंशिक लॉकडाउन और सीमित आवाजाही के परिणामस्वरूप देश की आर्थिक गतिविधि पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ा है. इससे कई कारोबारों विशेषकर बैंकिंग और वित्तीय सेवा क्षेत्रों में अवरोध उत्पन्न हुआ है और साथ-ही-साथ कृषि क्षेत्र में भी कई चुनौतियाँ उभरकर सामने आई हैं. कृषि क्षेत्र में ये चुनौतियाँ देश में रबी मौसम के चरम पर पहुँचने और फसल कटाई अथवा उनकी परिपक्वता अवधि के दौरान अधिक बढ़ गई थीं. यही वह समय होता है जब नामित सरकारी एजेंसियों द्वारा सुनिश्चित अधिप्रेषित परिचालन के लिए खेती की उपज मंडियों (मार्केट यार्ड) तक पहुँचती है.

19.2 बैंक प्रबंधन ने आंतरिक और बाह्य निविष्टियों पर विचार करते हुए वित्तीय स्थिति पर कोविड 19 के प्रभाव का आकलन किया, यह आकलन आगे की अवधि में होने वाली स्थितियों के आकलन पर आधारित है.

19.3 वर्तमान में उपलब्ध सूचनाओं के आधार पर, बैंक के प्रबंधनके अभिमत के अनुसार रिपोर्ट किए गए आंकड़ों और आस्तियों की क्षतिग्रस्तता पर कोविड-19 का प्रभाव बहुत अधिक नहीं होगा.

आ. लेखों के भाग के रूप में टिप्पणियां

1. केएफडब्ल्यू-जर्मन विकास बैंक (केएफडब्ल्यू) के साथ हुए करार के अनुसार यूपीएनआरएम के अंतर्गत अभिवृद्धि/ आय तथा व्ययों को निधि में प्रभारित किया गया है. इस निधि से दिए गए ऋण को अन्य ऋण की श्रेणी में रखा गया है और इसका विवरण अनुसूची 11 में दिया गया है. यूपीएनआरएम संबंधी उधार को 'अंतरराष्ट्रीय एजेंसियों से उधार' की श्रेणी में रखा गया है और इसका विवरण अनुसूची 7 में दिया गया है. वर्ष के दौरान, निधि के अंतर्गत ₹0.10 करोड़ की आय और ₹21.77 करोड़ के कुल व्यय को दर्शाने वाली ₹21.67 करोड़ (₹5.91 करोड़) की राशि को लाभ और हानि खाते में प्रभारित किया गया है.

2. नाबार्ड भारत सरकार / भारतीय रिज़र्व बैंक/ लंबित अन्य निकायों की ओर से बैंकर/ अभिरक्षक/ न्यासी के रूप में कार्य कर रहा है और उपर्युक्त निधियों को उनकी ओर से संबंधित योजनाओं के संदर्भ में संवितरण/ उपयोग होने तक

इन संस्थाओं की ओर से उनके द्वारा किए गए अंशदान की सीमा तक और अप्रयुक्त शेष राशियों पर उपचित ब्याज, जहां भी लागू हो, रखता है. अप्रयुक्त शेष राशि पर प्राप्त ब्याज को तत्संबंधी करारों के अनुसार/ प्रबंधन/ निदेशक मण्डल द्वारा अनुमोदित निम्नलिखित निधियों में जमा किया गया है. संबंधित निधियों के लिए ब्याज दरों का विवरण निम्नानुसार है :

क्रम सं.	*निधि का नाम*	*2021-22 के लिए ब्याज की दर*	*2020-21 के लिए ब्याज की दर*
1.	वाटरशेड विकास निधि	4%	4%
2.	केएफ़डब्ल्यू - नाबार्ड आईजीडब्ल्यूडीपी (आंध्र प्रदेश, गुजरात, राजस्थान)	4%	4%
3.	केएफ़डब्ल्यू सहबद्ध उपाय	4%	4%
4.	जलवायु परिवर्तन के लिए राष्ट्रीय अनुकूलन निधि	4%	4%
5.	आदिवासी विकास निधि	4%	4%
6.	वित्तीय समावेशन निधि	4%	4%
7	केएफ़डबल्यू- नाबार्ड - V आदिवासी विकास कार्यक्रम – गुजरात	4%	4%
8.	जलवायु परिवर्तन - (एएफ़बी) – परियोजना निर्माण अनुदान	4%	4%
9	एलटीआईएफ़ ब्याज उतार-चढ़ाव प्रारक्षित निधि	4%	4%
10	पीओडीएफ़ – आईडी	4%	4%
11	जीसीएफ़ परियोजना अनुदान	4%	4%
12	पशुधन विकास निधि (उ प्र और बिहार)	6.12%	7.52%
13	गरीबी उन्मूलन के लिए बहु गतिविधि दृष्टिकोण (सुल्तानपुर और राय बरेली)	6.12%	7.52%
14	सहकारी संस्थाओं में व्यावसायिक उत्कृष्टता के लिए केंद्र	6.12%	7.52%

3. भारत सरकार/ अंतरराष्ट्रीय एजेंसियों से वसूली योग्य (तुलन पत्र की अनुसूची-13 देखें) ₹4.41 करोड़ (₹6.92 करोड़) की राशि शामिल है जो विभिन्न निधियों के नामे शेष की राशि है.
इन निधियों का विवरण निम्नानुसार है:

(राशि ₹ करोड़ में)

क्रम सं.	*निधि का नाम*	*31-03-2022*	*31-03-2021*
1	केएफडब्ल्यू – यूपीएनआरएम - सहबद्ध उपाय	0.03	0.07
2	केएफडब्ल्यू – मृदा परियोजना	4.38	6.70
3	केएफडब्ल्यू यूपीएनआरएम- तकनीकी सहयोग	0.00	0.00
4	पौल्ट्री उद्यम पूंजी निधि	0.00	0.15

4. विविध लेनदार में ₹30.48 करोड़ (₹30.48 करोड़) का सूक्ष्म वित्त विकास और इक्विटी निधि (एमएफ़डीईएफ़) के संबंध में अंशदाताओं का बकाया भी शामिल है.
5. वाणिज्य बैंकों में रखी गई ग्रामीण आधारभूत संरचना विकास निधि (आरआईडीएफ़) जमाराशियों, भंडारागार आधारभूत संरचना विकास निधि (डब्ल्यूआईएफ़) जमाराशियों और खाद्य प्रसंस्करण निधि के संबंध में बैंक के पास सापेक्षिक मार्जिन के रूप में उपलब्ध 0.5 प्रतिशत से अधिक की राशि भारतीय रिजर्व बैंक के निर्देशों के अनुसरण में वॉटरशेड विकास निधि, जनजाति विकास निधि, वित्तीय समावेशन निधि और पीओडीएफ़ में जमा की गई.
6. विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत भारत सरकार से प्राप्त/ प्राप्य ब्याज सहायता को अनुसूची 14 के अंतर्गत ब्याज और वित्तीय प्रभारों से समायोजित किया गया है. विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत समायोजित ब्याज सहायता राशि का विवरण निम्नानुसार है:

(राशि ₹ करोड़ में)

क्रम सं.	*योजना*	*2021-22*	*2020-21*
1.	दीर्घावधि सिंचाई निधि	506.48	454.71
2.	मौसमी कृषि परिचालन (मौकृप)	(1012.70)	(672.18)
3.	डेयरी आधारभूत संरचना विकास निधि (डीआईडीएफ़)	20.55	20.25
4.	राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एनआरएलएम)	10.64	15.56
5.	सूक्ष्म सिंचाई निधि (एमआईएफ़)	59.29	34.60
6.	मत्स्यपालन और जलचरपालन आधारभूत संरचना विकास निधि (एफ़आईडीएफ़)	6.53	1.64

7. मौसमी कृषि परिचालन के लिए प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों और एनआरएलएम योजना के वित्तपोषण के लिए रास बैंकों, क्षेत्रा बैंकों और मस बैंकों, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को ब्याज सहायता योजना के अंतर्गत पुनर्वित्त देने पर प्राप्त ब्याज मार्जिन की गणना ब्याज आय के रूप में की गई है. भारत सरकार से इस योजना के अंतर्गत ₹87.95 करोड़ (₹90.10 करोड़) की राशि प्राप्त/ प्राप्य है.
8. वर्ष के दौरान, बैंक ने नवंबर, 2017 से प्रभावी वेतन समझौते के लिए अनुमानित आधार पर ₹200 करोड़ की राशि निर्धारित की है. वर्ष के अंत तक प्रदान की गई कुल राशि ₹880 करोड़ है जिसमें सेवानिवृत्ति लाभों के अंतर्गत किया गया प्रावधान भी शामिल है.
9. वर्ष के दौरान बैंक ने लेखा मानक 22 "आय पर करों का लेखांकन" के अनुसरण में, (-) ₹30.92 करोड़ ((-) ₹11.45 करोड़) के आस्थगित कर आस्ति को लाभ और हानि खाते में दर्शाया है. आस्थगित कर का विवरण निम्नानुसार है :

(राशि ₹ करोड़ में)

क्रम सं.	आस्थगित कर आस्तियां	31-03-2022	31-03-2021
1	भुगतान के आधार पर अनुमन्य प्रावधान	147.26	128.38
2	अचल आस्तियों पर मूल्यह्रास	16.68	18.63
3	अन्य	27.78	13.79
	कुल	**191.72**	**160.80**

आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 36(1)(viii) के अंतर्गत निर्मित विशेष प्रारक्षित निधि के कारण आस्थगित कर के लिए प्रावधान करना आवश्यक नहीं समझा गया क्योंकि बैंक ने उक्त प्रारक्षित निधि आहरित न करने का निर्णय लिया है.

10. वित्त वर्ष 2021-22 के अंत में विभिन्न प्राधिकारियों के समक्ष लंबित आय कर अपीलों का ब्यौरा निम्नानुसार है:

क्र. सं.	कर निर्धारण वर्ष	किस प्राधिकरण के पास अपील लंबित है	किसके द्वारा अपील की गई	विवादित राशि (₹ करोड़) 31-03-2022 की स्थिति	विवादित राशि (₹ करोड़) 31-03-2021 की स्थिति
1	2002-03	उच्च न्यायालय - मुंबई	आय कर विभाग	415.00	--
2	2006-07	उच्च न्यायालय - मुंबई	आय कर विभाग	115.52	115.52
3	2007-08	आय कर अपीलीय अधिकरण (आईटीएटी)	आय कर विभाग	--	89.56
4	2008-09	उच्च न्यायालय, मुंबई	आय कर विभाग	118.77	--
5	2009-10	उच्च न्यायालय, मुंबई	आय कर विभाग	194.82	--
6	2010-11	आय कर अपीलीय अधिकरण (आईटीएटी)	नाबार्ड	28.20	28.20
7	2010-11	आय कर अपीलीय अधिकरण (आईटीएटी)	आय कर विभाग	215.31	215.31
8	2011-12	आय कर अपीलीय अधिकरण (आईटीएटी)	नाबार्ड	51.07	51.07
9	2011-12	आय कर अपीलीय अधिकरण (आईटीएटी)	आय कर विभाग	287.62	287.62
10	2012-13	आय कर अपीलीय अधिकरण (आईटीएटी)	नाबार्ड	45.63	45.63
11	2012-13	आय कर अपीलीय अधिकरण (आईटीएटी)	नाबार्ड	327.03	327.03
12	2012-13	आय कर आयुक्त (अपील)	आय कर विभाग	25.55	25.55
13	2013-14	आय कर अपीलीय अधिकरण (आईटीएटी)	नाबार्ड	1.70	1.70
14	2013-14	आय कर अपीलीय अधिकरण (आईटीएटी)	आय कर विभाग	380.05	380.05
15	2014-15	आय कर अपीलीय अधिकरण (आईटीएटी)	आय कर विभाग	450.61	450.61
16	2015-16	आय कर अपीलीय अधिकरण (आईटीएटी)	आय कर विभाग	448.87	448.87
17	2016-17	आय कर आयुक्त (अपील)	नाबार्ड	407.23	407.23
18	2017-18	आय कर आयुक्त (अपील)	नाबार्ड	360.69	360.69
19	2018-19	आय कर आयुक्त (अपील)	नाबार्ड	278.52	--
20	2019-20	आय कर आयुक्त (अपील)	नाबार्ड	277.92	--

11. पूर्ण स्वामित्व की भूमि तथा पट्टेकृत भूमि और परिसर में कार्यालय परिसर और स्टाफ क्वार्टर्स के लिए ₹14.00 करोड़ (₹14.00 करोड़) की राशि का भुगतान शामिल है जिसका हस्तांतरण किया जाना अभी बाकी है. गुंटूर में कार्यालय के लिए प्लॉट के संबंध में, हस्तांतरण विलेख का निष्पादन लंबित है; प्लॉट अधिग्रहण के लिए भुगतान की गई कुल राशि ₹6.83 करोड़ है. छत्तीसगढ़ में भूखंड के संबंध में, हस्तांतरण विलेख निष्पादित किया गया है, लेकिन पंजीकरण लंबित है. .

12. बैंक प्रबंधन के मतानुसार आस्तियों में कोई ऐसी क्षतिग्रस्तता नहीं है जिस पर लेखा मानक 28 - "आस्तियों में क्षतिग्रस्तता" लागू होती हो और जिसके लिए किसी प्रावधान की अपेक्षा हो.

13. भारतीय रिजर्व बैंक के निदेशों के अनुसरण में, इन एजेंसियों द्वारा जारी विशेष विकास डिबेंचरों (एसडीडी) की सदस्यता के माध्यम से राज्य सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंकों (रासकृग्रावि बैंक) को दिए गए परियोजना ऋणों की निम्नानुसार गणना की गई है :

क) निवेश के रूप में वर्गीकृत किया गया है और 'डिबेंचर और बॉण्ड' शीर्ष के अंतर्गत अनुसूची 10 में दर्शाया गया है'.

ख) उस पर अर्जित ब्याज लाभ हानि लेखा में 'ऋण एंव अग्रिमों पर प्राप्त ब्याज' के भाग के रूप में दर्शाया गया है और उसे 'अनुमन्य अग्रिम' माना गया है.

ग) 'आईआरएसी मानदंड, पूंजी पर्याप्तता और अनुपातों की गणना इत्यादि के प्रयोजन से 'अनुमन्य अग्रिम'.

14. वित्तीय विवरणियों की तारीख को चालू आरआईडीएफ खेपों (XX से XXV) के तहत विभिन्न राज्य सरकारों को दिए गए संवितरण में से ₹506.20 करोड़ (₹483.17 करोड़) नॉन-स्टार्टर परियोजनाओं से संबंधित हैं. संबंधित/ अन्य परियोजनाओं के साथ राशि के समायोजन के लिए राज्य सरकार से प्रस्ताव प्राप्त होने तक राशि को निधि से संवितरण के रूप में वर्गीकृत किया गया है.

15. दिनांक 18 फरवरी 2016 की केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, वित्त मंत्रालय की अधिसूचना के तहत नाबार्ड को आयकर अधिनियम 1961 की धारा 10 (15) (iv) (एच) के तहत ₹5,000 करोड़ की राशि के कर मुक्त बांड जुटाने के लिए अनुमति दी गई थी. तदनुसार नाबार्ड ने 10 वर्ष की अवधि में प्रतिदेय ₹1500 करोड़ प्राइवेट प्लेसमेंट के जरिए जुटाए गए और 10 और 15 वर्ष की अवधि में प्रतिदेय ₹3,500 करोड़ पब्लिक इश्यू के माध्यम से जुटाए गए. ये कर मुक्त बॉण्ड, सुरक्षित, प्रतिदेय और गैर-परिवर्तनीय बॉण्ड की प्रकृति के हैं. ये बॉण्ड मुंबई में स्थित संपत्ति पर समरूप प्रभार के समक्ष सुरक्षित हैं और नाबार्ड का निर्दिष्ट बही ऋण पर पहला प्रभार है. चालू वर्ष के लिए इन बांडों से संबंधित राजस्व के लिए प्रभारित ब्याज ₹365.54 करोड़ (₹365.41 करोड़) है.

डिबेंचर ट्रस्टी का विवरण निम्नानुसार है:

एक्सिस ट्रस्टी सर्विसेज लिमिटेड,
द रूबी, द्वितीय तल, एसडबल्यू,
29, सेनापती बापट मार्ग,
दादर पश्चिम, मुंबई- 400028
टेलीफोन: +91 22 6230 0451

16. वेंचर पूंजी निधि में निवेश के संदर्भ में विवेकपूर्ण दिशानिर्देशों से संबंधित भारिबैं के 01 जुलाई 2015 के परिपत्र सं. आरबीआई/2015-16/104 डीबीआर.सं.एफ़आईडी.एफ़आईसी.3/01.02.00/2015-16 के अनुसार, वीसीएफ़ की इकाइयों में लगाई गई ₹21.55 करोड़ (₹19.45 करोड़) की राशि को 3 वर्ष पूर्ण होने पर एचटीएम श्रेणी से एएफ़एस श्रेणी में अंतरित किया गया जबकि एचटीएम श्रेणी में किए गए ₹53.71 लाख के निवेश को 3 वर्ष पूरा होने के बाद भी एएफ़एस श्रेणी में अंतरित नहीं किया गया है.

17. सरकारी प्रतिभूतियों में निवेशों के अंतर्गत निम्नलिखित उधारों के लिए संपार्श्विक प्रतिभूति के रूप में भारतीय समाशोधन निगम लिमिटेड के साथ गिरवी प्रतिभूतियां शामिल हैं:

(राशि ₹ करोड़ में)

विवरण	*अंकित मूल्य*	*बही मूल्य*
व्यवसाय खंड के लिए गिरवी (प्रतिभूतियां)	765.00 (760.00)	814.93 (798.77)
व्यवसाय खंड के लिए गिरवी (सीबीएलओ / ट्राई पार्टी रेपो)	25918.05 (23111.05)	27460.48 (24895.54)
व्यवसाय खंड के लिए गिरवी (प्रतिभूतियां) डिफाल्ट फंड	50.00 (50.00)	51.75 (52.21)
व्यवसाय खंड के लिए गिरवी (सीबीएलओ / ट्राई पार्टी रेपो) डिफाल्ट फंड	50.00 (50.00)	51.75 (52.21)

18. **मानक आस्तियों हेतु प्रावधान**

(राशि ₹ करोड़ में)

विवरण	*2021-22*	*2020-21*
वर्ष के दौरान मानक आस्तियों के लिए किया गया प्रावधान	155.59	699.39

19. **काउंटरसाईक्लिकल प्रोविजनिंग बफर:***

(राशि ₹ करोड़ में)

क्रम सं.	*विवरण*	*2021-22*	*2020-21*
(क)	अस्थिर प्रावधान खाते में अथशेष	1264.44	514.44
(ख)	लेखा वर्ष के दौरान किए गए अस्थिर प्रावधान की प्रमात्रा #	750.00	750.00
(ग)	लेखा वर्ष के दौरान आहरित राशि	0.00	0.00
(घ)	वित्तीय वर्ष के अंत में अस्थिर प्रावधान खाता का इतिशेष	2014.44	1264.44

* यह अग्रिमों के लिए अस्थायी प्रावधानों को दर्शाता है जिनका उपयोग टियर II पूंजी के रूप में नहीं किया गया है.

बैंक के निदेशक मण्डल ने भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार अस्थिर प्रावधान निर्माण करने का निर्णय लिया जिसका उपयोग अप्रत्याशित अथवा असाधारण परिस्थितियों में किया जाएगा.

20. भारतीय रिजर्व बैंक के मास्टर निर्देश – 23 जून 2016 के भारतीय रिजर्व बैंक (अखिल भारतीय वित्तीय संस्थानों के वित्तीय विवरण - प्रस्तुति, प्रकटीकरण और रिपोर्टिंग निर्देश 2016) के अनुसरण में वित्तीय संस्थाओं द्वारा जो प्रकटीकरण दिए जाने आवश्यक हैं उन्हें इस समूह के समेकित वित्तीय विवरणों के लिए प्रासंगिक नहीं माना गया है और इसलिए इन्हें नोट में शामिल नहीं किया गया है.

21. दो सहायक संस्थाओं के मामले में, मूल्यह्रास की गणना अवलिखित मूल्य विधि से की गई है और इसे सीधी रेखा विधि के अनुसार समेकित वित्तीय विवरणों में समायोजित नहीं किया गया है. समेकित वित्तीय विवरणों पर इसका प्रभाव महत्वपूर्ण नहीं है.

22. समीक्षाधीन वर्ष के दौरान नैबफिन्स के कर्मचारियों और कुछ व्यवसाय और विकास कॉरसपांडेन्ट्स ने ₹1.25 करोड़ का गबन किया था, इसमें से 31 मार्च 2022 की स्थिति में ₹0.44 करोड़ की राशि की वसूली की गई है और वसूली न की गई राशि के लिए आवश्यक प्रावधान किया गया है.

23. वर्ष के दौरान गैर-निष्पादित आस्तियों में से एक में ₹819.26 करोड़ की बकाया राशि का शत प्रतिशत प्रावधान किया गया है, जिसमें से 50% प्रावधान लाभ और हानि खाते में डेबिट कर दिया गया है और शेष राशि ₹409.63 करोड़ आरक्षित निधि से आहारित किया गया है और इसे अनुसूची-1 "रिजर्व फंड और अन्य रिजर्व"में दर्शाया गया है.

24. नकद और नकद समतुल्य के मामले में महत्वपूर्ण लेखा नीति में परिवर्तन किया गया है जिसके अनुसार तीन महीने या उससे कम की मूल परिपक्वता अवधि वाले अल्पावधि निवेश को नकद और नकद समतुल्यों से बाहर रखा गया है. इसका बैंक के राजस्व पर कोई असर नहीं पड़ा है.

25. लाभ और हानि लेखा में शामिल पूर्व अवधि मदें निम्नानुसार हैं:

(राशि ₹ करोड़ में)

क्र.सं.	*विवरण*	*2021-22*	*2020-21*
1.	आय	0.00	0.00
2.	राजस्व व्यय	0.00	0.00
	कुल	(0.00)	(0.00)

26. **लेखा मानक 18- संबंधित पार्टी प्रकटीकरण**

चूंकि एएस-18 'संबंधित पार्टी प्रकटीकरण' के अर्थ में यह बैंक राज्य द्वारा नियंत्रित उद्यम है, अत: अन्य राज्य नियंत्रित उद्यमों के साथ लेनदेन का विवरण नहीं दिया गया है.

संबंधित पार्टियों की सूची :

26.1 प्रमुख प्रबंधन कार्मिक:

पार्टी का नाम	*पदनाम*
डॉ जी आर चिंतला	अध्यक्ष
श्री शाजी के वी	उप प्रबंध निदेशक
श्री पी वी एस सूर्यकुमार	उप प्रबंध निदेशक

26.2 मुख्य प्रबंधन पदाधिकारियों के साथ लेन-देन:

(राशि ₹ करोड़ में)

पक्ष का नाम	*संबंध का स्वरूप*	*लेन-देन का स्वरूप*	*वर्ष के दौरान लेन-देन की राशि*		*बकाया*	
			2022-21	*2021-20*	*2022-21*	*2021-20*
डॉ. जी आर चिंतला	मुख्य प्रबंधन पदाधिकारी –अध्यक्ष	अनुलब्धियों सहित पारिश्रमिक	0.67	0.63	0.00	0.00
श्री शाजी के वी	मुख्य प्रबंधन पदाधिकारी – उप प्रबंध निदेशक	अनुलब्धियों सहित पारिश्रमिक	0.51	0.59	0.00	0.00
श्री पी वी एस सूर्यकुमार	मुख्य प्रबंधन पदाधिकारी – उप प्रबंध निदेशक	अनुलब्धियों सहित पारिश्रमिक	0.60	0.56	0.00	0.00

संबंधित पार्टियों के संबंध में वर्ष के दौरान कोई भी राशि राइटआफ/ प्रतिलिखित नहीं की गई अथवा उनके लिए प्रावधान नहीं किया गया. संबंधित पार्टियों के संबंधों को प्रबंधन द्वारा अभिनिर्धारित किया गया है तथा लेखापरीक्षकों ने इन पर विश्वास किया है.

27. **व्यवसाय खंड के बारे में सूचना**

(क) संक्षिप्त पृष्ठभूमि

बैंक के मान्यता प्राप्त प्राथमिक व्यवसाय खंड निम्नानुसार है:

i) **प्रत्यक्ष वित्तपोषण:** इसमें ग्रामीण आधारभूत सुविधाओं के विकास हेतु राज्य सरकारों और अन्य एजेंसियों को दिए गए ऋण, सह-वित्तपोषण ऋण और स्वैच्छिक एजेंसियों/ गैर सरकारी संगठनों को विकासात्मक गतिविधियों के लिए दिए गए ऋण तथा सहकारी बैंकों आदि को दिए गए अन्य प्रत्यक्ष ऋण शामिल हैं.

ii) **पुनर्वित्त:** इसमें राज्य सरकारों, वाणिज्य बैंकों, रासकृग्रावि बैंकों, रास बैंकों, क्षेग्रा बैंकों आदि द्वारा अंतिम उधारकर्ताओं को दिए गए ऋणों के समक्ष पुनर्वित्त के रूप में दिए गए ऋण और अग्रिम शामिल हैं.

iii) **ट्रेजरी:** इसमें ट्रेजरी बिलों, अल्पावधि जमाओं, सरकारी प्रतिभूतियों, आदि में निधियों का निवेश शामिल है.

iv) उपर्युक्त तीन प्राथमिक खंडों के अलावा अन्य खंड अन्य व्यावसायिक खंड हैं. प्रत्यक्ष आय और प्रत्यक्ष व्यय के आधार पर तीन प्राथमिक खंडों के परिणामों का पता लगाने के बाद, गैर-आबंटित व्यय / देनदारियों / आस्ति सहित शेष राशि को "अन्य व्यवसाय" के तहत समूहीकृत किया गया है

(ख) **प्राथमिक व्यवसाय खंड संबंधी सूचना**

(राशि ₹ करोड़ में)

विवरण	*ट्रेजरी*		*पुनर्वित्त*		*प्रत्यक्ष ऋण*		*अन्य व्यवसाय*		*कुल*	
व्यवसाय खंड	*2021-22*	*2020-21*	*2021-22*	*2020-21*	*2021-22*	*2020-21*	*2021-22*	*2020-21*	*2021-22*	*2020-21*
राजस्व	3119.69	3372.89	16780.81	15998.01	17149.75	15472.56	124.93	164.72	37175.18	35008.18
परिणाम	2688.57	2552.54	3689.86	3762.33	3442.03	3176.91	-2981.18	-3295.75	6839.29	6196.03
अनाबंटित व्यय									0.00	0.00
परिचालन लाभ									6839.29	6196.03
आय पर कर									-1644.71	-1794.94
असाधारण लाभ/ हानि	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
निवल लाभ									5194.58	4401.09
अन्य सूचनाएं										
खंड आस्तियां	70331.40	48484.91	370527.55	312809.76	313264.90	293758.64	4345.54	3604.51	758469.38	658657.82
खंड देयताएं	144580.58	99432.66	312546.49	278469.69	222880.30	211455.87	78462.00	69299.60	758469.38	658657.82
अनाबंटित आस्तियाँ									0.00	0.00
कुल आस्तियाँ									758469.38	658657.82
अनाबंटित देयताएँ									0.00	0.00
कुल देयताएं									758469.38	658657.82

(ग) चूंकि बैंक के परिचालन केवल भारत तक सीमित हैं, अतः रिपोर्ट करने योग्य कोई भी द्वितीयक खण्ड नहीं है.

30. कोष्ठक में इंगित आंकड़े पिछले वर्ष के हैं.

31. जहां भी आवश्यक है, पिछले वर्ष के आंकडों का पुनः समूहन/ पुनः व्यवस्थापन किया गया है.

इसी तारीख की हमारी संलग्न रिपोर्ट के अनुसार

कृते एमकेपीएस एंड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार
एफ़आरएन सं: 302014E

सीए रामकृष्णन मणि
साझेदार
सदस्यता संख्या: 032271

अलोक सी जेना
मुख्य महाप्रबंधक
लेखा विभाग

मुंबई
दिनांक : 25 मई 2022

डॉ. जी.आर.चिंतला
अध्यक्ष

शाजी के वी
उप प्रबंध निदेशक

पीवीएस सूर्यकुमार
उप प्रबंध निदेशक

राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक
31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित नकदी प्रवाह

(राशि ₹ करोड़ में)

विवरण	*2021-22*	*2020-21*
(क) परिचालनगत गतिविधियों से नकदी प्रवाह		
लाभ और हानि खाते के अनुसार कर पूर्व निवल लाभ	6,838.29	6,196.03
के लिए समायोजित:		
मूल्यह्रास	53.82	50.67
प्रावधान और परिशोधन	0.79	-0.36
अनर्जक आस्तियों के लिए प्रावधान	424.47	875.24
मानक आस्तियों के लिए प्रावधान	112.69	1,448.42
अस्थायी प्रावधान	750.00	-
निवेश खाते के मूल्य में मूल्यह्रास - इक्विटी	10.64	-
पुनर्निर्धारित ऋण के ब्याज को छोड़ने का प्रावधान	-	-
अचल आस्तियों की बिक्री से लाभ/ हानि	-1.10	0.26
विभिन्न निधियों में जमा ब्याज (विभेदक ब्याज निधि में वृद्धि/ समायोजन सहित)	379.14	387.47
अन्य व्यय	7.99	-8.67
निवेश से आय (डिस्काउंट से आय सहित)	-3,053.04	-3,391.51
परिचालनगत आस्तियों में परिवर्तन के पहले परिचालनगत लाभ	**5,523.69**	**5,557.55**
कार्यशील पूंजी में परिवर्तन के लिए समायोजन:		
चालू आस्तियों में (वृद्धि)/ कमी	(790.52)	7,697.95
चालू देयताओं में वृद्धि / (कमी)	3484.38	2,902.54
ऋणों और अग्रिमों में वृद्धि/ कमी (स्टाफ को आवास ऋण और अन्य अग्रिमों सहित)	(78988.61)	-123,709.26
परिचालनगत गतिविधियों से सृजित नकदी	**(70771.06)**	**-107,551.22**
आय कर का भुगतान-रिफ़ंड को घटाकर	-1,936.62	-1,808.80
परिचालनगत गतिविधियों से निवल नकद प्रवाह (अ)	**(72707.68)**	**-109,360.02**
(ख) निवेश गतिविधियों से नकद प्रवाह		
निवेश से आय (डिस्काउंट आय सहित)	3,053.04	3,391.51
अचल आस्तियों की खरीद	-46.01	-85.05
अचल आस्तियों की बिक्री	8.02	1.37
निवेश में वृद्धि/ कमी	-20,944.61	-11,994.01
निवेश गतिविधियों में प्रयोग की गई/ सृजित निवल नकदी (आ)	**-17,929.56**	**-8,686.18**
(ग) वित्तपोषण गतिविधियों से नकदी प्रवाह		
प्राप्त अनुदान/अंशदान	2,256.79	1,003.32
ब्याज पर व्यय	-0.39	-
बॉन्डों से आय/ लाभ	34,710.31	56,130.14
उधारों में वृद्धि / (कमी)	42,080.04	55,056.53
जमाराशियों में वृद्धि / (कमी)	10,554.58	5,109.02
प्रारक्षित निधि से आहरण	-409.63	-

विवरण	*2021-22*	*2020-21*
लाभांश पर कर सहित भुगतान	-0.10	-0.10
शेयर पूंजी में वृद्धि	2,086.58	1,065.65
वित्तपोषण गतिविधियों से जुटाई गई निवल नकदी (इ)	**91,278.18**	**118,364.56**
नकदी और नकदी समकक्ष में निवल वृद्धि (अ)+(आ)+(इ)	640.94	318.36
वर्ष के आरंभ में नकदी और नकदी समकक्ष	1,480.41	1,162.05
वर्ष के अंत में नकदी और नकदी समकक्ष	**2,121.35**	**1,480.41**

1. वर्ष के अंत में नकदी और नकदी समकक्ष राशियों में शामिल हैं:	*2021-22*	*2020-21*
हाथ में रोकड़	0.00	0.00
भारतीय रिजर्व बैंक के पास शेष राशियां	363.60	843.23
भारत में अन्य बैंकों के पास शेष राशियां	1,757.75	637.18
मार्गस्थ प्रेषण	-	-
संपार्श्विक उधार और ऋण दायित्व	-	-
कुल	**2,121.35**	**1,480.41**

नोट :

1. अप्रत्यक्ष विधि का उपयोग करके नकदी प्रवाह विवरण तैयार किया जाता है.
2. बैंकों के पास रखे गए डिमांड डिपॉजिट को निवेश के तहत दर्शाया गया है.
3. पिछले वर्ष का समेकित नकद प्रवाह विवरण सहायक संस्थाओं के अलेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों के आधार पर तैयार किया गया था. लेखापरीक्षित वित्तीय स्थिति के अनुसार नकद और नकद समकक्षों के अथ शेष में ₹0.36 करोड़ का अंतर है. इसे चालू वर्ष में उपयुक्त रूप से समायोजित किया गया है.
4. समेकित नकदी प्रवाह विवरण सहायक संस्थाओं के आई-जीएएपी वित्तीय विवरणों के आधार पर तैयार किया गया है.

इसी तारीख की हमारी संलग्न रिपोर्ट के अनुसार

कृते एमकेपीएस एंड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार
एफ़आरएन सं: 302014E

सीए रामकृष्णन मणी
साझेदार
सदस्यता संख्या: 032271

अलोक सी जेना
मुख्य महाप्रबंधक
लेखा विभाग

मुंबई
दिनांक : 25 मई 2022

डॉ. जी.आर.चिंतला
अध्यक्ष

शाजी के वी
उप प्रबंध निदेशक

पीवीएस सूर्यकुमार
उप प्रबंध निदेशक